सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

24 फरवरी, 2021

सप्तदश विधान सभा बुधवार, तिथि 24 फरवरी, 2021 ई०

द्वितीय सत्र 05 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

आप अपनी बात को समय पर उठायें । कृपया तख्ती न दिखलायें, बैठ जायें ।

(व्यवधान जारी)

आप समय पर उठायें, तख्ती न दिखायें । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

प्रश्नोत्तर-काल

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(माले)के माननीय सदस्य वेल में आ गये ।)

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, जितने लोग वेल में खड़े हैं, इन लोगों पर भी किस-किस सेक्शन में केस हैं जरा वह भी मंगवा कर दिखवा लीजिये । जितने लोग यहां खड़े हैं इन पर भी कौन-कौन सेक्शन में केस दर्ज हैं जरा मंगवा लीजियेगा तो इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जो है उजागर हो जायेगा । किस पर कौन केस है, गंभीर आपराधिक मुकदमें हैं, इन सभी लोगों पर मामला दर्ज है, जरा इन सभी लोगों का भी मंगवाकर दिखवा लीजिये कि कौन-कौन सेक्शन में इन लोगों पर केस है । अध्यक्ष महोदय, मंगवाइए, कितना गंभीर मुकदमा इन लोगों पर है इससे यह पता चल जायेगा और इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जो है उजागर हो जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अपने अपने स्थान पर बैठ जायं । निर्धारित समय पर आप अपने विषय को रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । अभी प्रश्नोत्तर काल है, आप लोग बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(माले)के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गये ।)

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो इसको आप दिखवा लीजिये । यह आपत्तिजनक बात है, अच्छी बात नहीं है ।

अध्यक्ष: अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-9 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम)

श्री मुरारी प्रसाद गौतमः पूछता हूं ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्रीः 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मनरेगा में कार्य करने को इच्छुक सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । इस अवधि में क्वारंटीन कैम्पस में भी जॉब कार्ड निबंधन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी । क्वारंटीन कैम्पस में कुल 2,23,105 परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया । इस वित्तीय वर्ष में कुल 19,20,571 परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किया गया तथा कुल 46,52,076 परिवारों को मनरेगा अन्तर्गत कार्य उपलब्ध कराया गया है । आपदा प्रबंधन विभाग के डी0एम0डी0 पोर्टल और श्रम साधन पोर्टल के माध्यम से राज्य के बाहर से लौटे श्रमिकों में से 69,010 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिला परामर्शदाता केन्द्र डी0सी0सी0 के माध्यम से नियोक्ता एवं श्रमिकों के माध्यम से नियोक्ता एवं श्रमिकों के मध्य सम्पर्क स्थापित कर कुल 27,821 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । उद्योग विभाग द्वारा पी0एस0यू0 आधारित कलस्टर विकास योजना अन्तर्गत कुल 18 कलस्टरों में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया गया है जिसमें कुल 378 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना के अन्तर्गत कुल 135 कलस्टरों में से कुल 2355 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी की अवधि में निदेशालय नियोजन द्वारा रोजगार हेतु राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जिला स्तर पर वर्तमान में कुल 34 ऑनलाईन/ऑफलाईन रोजगार कैम्प/शिविर का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से कुल 998 अभ्यर्थियों का चयन किया गया । राज्य सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार के सभी संबंधित विभागों से इसके अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है । सरकार का प्रयास है कि सभी प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुसार बिहार में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हों ।

3-उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतमः महोदय, मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान पूरे 30 लाख से ऊपर श्रमिक बिहार लौटे थे जिसमें से इनके आंकड़े के अनुसार, जो सरकारी आंकड़ा इन्होंने पेश किया 3 लाख 23 हजार 667 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया यानी 30 लाख में 3 लाख लोगों को

रोजगार मुहैया कराया गया, 27 लाख लोग तो आज भी बेरोजगार हैं, उनके लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: हुजूर, माननीय मंत्री ने जो प्रश्न किया है । सॉरी, माननीय विधायक ने जो प्रश्न किया है...

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: नहीं, माननीय मंत्री आप हैं, आप मंत्री हैं मैं सदस्य हूं ।

श्री जिवेश कुमार मंत्री: ईश्वर करे भविष्य में आपको अवसर मिले । इधर जब आ जाइयेगा तो मंत्री का अवसर भी देंगे, चिन्ता मत कीजिये आप ।

(व्यवधान)

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: इधर आईएगा तो मंत्री भी बनने का अवसर देंगे । महोदय, अभी माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है, हम चाहेंगे उसका उत्तर ले लीजिये आपके प्रश्न में ही हास्यास्पद बातें हैं आपने जो लिखित प्रश्न डाला है उसमें आपने लिखा है कि 5 लाख मजदूर बिहार लौटे हैं और अभी पूरक प्रश्न कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 30 लाख मजदूर बिहार लौटे हैं तो दोनों में थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए आप पता करें कि 5 लाख लौटे हैं या 30 लाख लौटे हैं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: सरकार आपकी है, आप बतलाये कि कितने लोग लौटे हैं ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: उत्तर अगर मांगे हैं तो उत्तर दे देने दीजिये । सरकार से पूछे हैं तो सरकार बतलायेगी । उन्होंने लिखा है, प्रश्न उन्होंने किया है कि क्या यह बात सही है कि कोरोना के कारण दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल आदि राज्यों से 5 लाख से अधिक बिहारी श्रमिक बिहार लौटे हैं तो सरकार कह रही है कि स्वीकारात्मक है । लौटें हैं अगर 5 लाख से अधिक बिहार लौटे हैं तो उसमें से तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे दिया गया है, इस पर तो आपको स्वागत करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, इस बात के लिए, हर बात के लिए पूरक बनाकर पूछना अच्छा नहीं है, विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: न्यूज 18 ने न्यूज चलाया कि 30 लाख लोग लौटे हैं...

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: आपने क्या पूछा है ? अध्यक्ष महोदय, यह सदन न्यूज 18 के प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं है । यह सदन माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए है और माननीय सदस्य का उत्तर दे दिया गया है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम: अभी 30 लाख लोग लौटे थे जून तक ।

टर्न-2/राहुल/अभिनीत/24.02.2021

श्री राकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि सारे श्रमिकों को काम उपलब्ध करा दिया गया है तो क्या उन श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है ?

अध्यक्ष: ये अलग से प्रश्न पूछ लीजिएगा । आप अलग से जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री राकेश कुमार रौशन: नहीं-नहीं, इसी से संबंधित है । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि यदि सारे श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया गया है तो फिर बिहार से श्रमिकों का पलायन क्यों हो रहा है ? कल मुख्यमंत्रीजी ने भी सदन में स्वीकार किया था कि बिहार के श्रमिकों का पलायन हो रहा है । अभी मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमने सारे श्रमिकों को काम उपलब्ध करा दिया है तो फिर क्यों बिहार से मजदूरों का पलायन हो रहा है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: महोदय, बिहार में जो दक्ष मजदूर थे, पलायन शब्द ही गलत है । जो दक्ष मजदूर हैं उनको अगर बिहार की तुलना में अन्य राज्यों में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जब कोरोना पर, कोविड-19 पर कंट्रोल हुआ उसके बाद वे लोग वापसी किये हैं इसको नकारा नहीं जा सकता है लेकिन पलायन शब्द, इधर कोई पलायन नहीं हुआ है और हमलोग यहीं रोजगार मुहैया करा रहे हैं । इसमें ग्रामीण कार्य विभाग से पूरा सहयोग मिल रहा है, उद्योग विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है और हमलोग यहीं रोजगार मुहैया करा रहे हैं । किसी को बिहार से पलायन करने की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष: आपका क्या है ? आप बताइये ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि, सरकार का यह एक बहुत ही बेहतर प्रयास था कि जितने लोग लौटे थे उनकी स्किल मैपिंग की गयी । क्या स्किल मैपिंग की कोई श्रेणी बनायी गयी है कि किस स्किल के कितने लोग यहां हमारे पास हैं ? उनकी क्षमता और उनकी दक्षता के अनुसार उनको बिहार में ही रोजगार मिल जाय क्या सरकार इसकी योजना बना रही है ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: इससे संबंधित प्रश्न अगर विधायक जी अलग से लायेंगे तो हम विस्तारपूर्वक उसका उत्तर दे पायेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय सदस्य आप अलग से प्रश्न करें । आप बताइये ।

श्री कुमार सर्वजीत: अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति बनाये रखें । दूसरे सदस्यों के पूरक प्रश्नों को भी सुनें ।

श्री कुमार सर्वजीत: बिहार सरकार में झारखंड की तर्ज पर कितने मजदूरों का पलायन हो रहा है उसके रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था आपने की है या नहीं की है ? आपको पता कैसे चलेगा, आप तो सदन को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे यहां से मजदूर गये ही नहीं हैं, यह रिकॉर्ड कैसे पता चलेगा कि हमारे यहां से मजदूर गये कि नहीं गये, इसके साक्ष्य की व्यवस्था आप करना चाहते हैं या नहीं ?

अध्यक्ष: आप अलग से यह प्रश्न करें, इस प्रश्न से जुड़ा यह प्रश्न नहीं है, अलग से करें ।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, एक तो उन्होंने कहा कि 5 लाख, अगर किसी माननीय सदस्य ने यह कहा है कि 5 लाख तो आप ही सही बता दें कि हां 30 लाख श्रमिक लौटे हैं ।

अध्यक्ष: ठीक है, सरकार को जानकारी देनी चाहिये । माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का हक है ।

श्री कुमार सर्वजीत: महोदय, एक मिनट । इन्होंने कहा कि 5 लाख, 30 लाख में इन्होंने 3 लाख मजदूरों को रोजगार दिया ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष: आप बैठिए । माननीय मंत्रीजी आप बार-बार मत उठिए ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष: आपका भी बचा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है या अलग से कुछ है ?

श्री सत्यदेव राम: प्रश्नकर्ता द्वारा 5 लाख का आंकड़ा दिया गया है । यह बात सही है कि पूरे प्रदेश का आंकड़ा उनके पास नहीं है लेकिन सरकार के पास तो है । मैं माननीय मंत्रीजी से इतना ही आग्रह करूंगा कि कम से कम अभी वह सही आंकड़ा बता दें । माननीय सदस्य तो नहीं जानते हैं कि कितने श्रमिक लौटे हैं, सरकार तो जानती है, माननीय मंत्रीजी आंकड़ा बता दें कि कितने लोग बाहर से बिहार आये ।

अध्यक्ष: आप तो पुराने सदस्य हैं, आप अलग से प्रश्न करेंगे, मंत्रीजी नये हैं ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

अध्यक्ष: मंत्रीजी के पास जवाब है तो दे दें नहीं तो बाद में दे देंगे । बता सकते हैं तो बताइये ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री: माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि 5 लाख से अधिक लोग लौटे हैं बिहार में, मैंने कहा कि हां लौटे हैं यह स्वीकारात्मक है । इन्होंने सभी स्टेट का. ....

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: महोदय, सही जानकारी सरकार को भी नहीं है, सही जानकारी..

(व्यवधान)

श्री जिवेश कुमार, मंत्रीः 5 लाख से अधिक लोग लौटे हैं...

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव रामः हमको जानकारी चाहिए ।

अध्यक्षः धैर्य से बोलें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है बहुत ही माकूल प्रश्न किया है, सरकार संवेदनशील है, इन प्रश्नों का जवाब देगी । आपदा प्रबंधन विभाग से आंकड़ों को लिया जायेगा और माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको जवाब दिया जायेगा ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष जी..

अध्यक्षः ललित बाबू अभी माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं आप बैठ जाइये । अभी बोलने दीजिए । आप पुराने लोग हैं, आप सुनिए । माननीय मंत्रीजी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की सरकार श्रमिकों के मामले में काफी संवेदनशील है और जिस प्रकार से कोरोना काल में श्रमिकों को बिहार में रोजगार देने का काम, दो जून की रोटी देने का काम, उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी । महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सात निश्चय-2 का जो कार्यक्रम है, उसमें पंचायत लेवल पर श्रमिकों का निबंधन किया जाएगा और पूरी तरह से, यही नहीं कि सिर्फ मनरेगा से जुड़े हुए हैं, जिस तरह के वे काम करने वाले श्रमिक हैं और बाहर वे जा रहे हैं, महोदय, वे अगर अच्छी कमाई के लिए स्वेच्छा से जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है लेकिन जो राज्य में काम करना चाहेंगे उनको हर कीमत पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा ।

अध्यक्षः ठीक है, बहुत अच्छा ।

(व्यवधान)

अब उनको बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

अब देखिए एक ही प्रश्न में पूरा समय चला गया ।

श्री सत्यदेव रामः महोदय, मैं श्रमिकों की संख्या बताने की बात कह रहा हूं, सरकार को पता नहीं है कि कितने मजदूर बाहर से आए...

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुआ, तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे ।

माननीय सदस्यगण, हम बार-बार आपको यह बात याद दिलाना चाहते हैं कि माननीय सदन नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष या माननीय मंत्री जब बोल रहे हों,

तो यह आपके सीखने-समझने का समय है, आप गंभीरता के साथ इनकी बातों को ग्रहण करें । माननीय सदस्यगण, आपका व्यवहार सदन की गरिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ये अवसर आपको मिला है।

माननीय सदस्यगण, अपने स्थान से बैठे-बैठे कभी न बोलें, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो अपने से वरिष्ठ सदस्य की बातों को सुनें, माननीय सदस्य, आपके व्यवहार से सदन का प्रकाश पूरे बिहार में फैलेगा । कृपया इसका ध्यान रखें और एक सकारात्मक सूचना भी आपको देते हैं कि आज तीसरे दिन आप लोगों के सहयोग से टोटल 143 प्रश्न सदन में आए हैं, इसमें 91 परसेंट प्रश्नों का जवाब ऑनलाईन आ चुका है, 43 का मुद्रित भी हुआ है । माननीय सदस्यगण, जो जवाब आया है उसका पूरक प्रश्न पूछें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रश्न में भागीदारी कर सकें । आपसे आग्रह है कि सब लोग मिल कर सदन के कीमती समय को बचाएं। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न-163 (श्री पवन कुमार यादव)</u>

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि-

1- भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखण्ड में चांदन जलाशय योजनांतर्गत इकोरिया मुख्य नहर से निःसृत बबूरा शाखा नहर तथा बबूरा शाखा नहर से निःसृत घिया वितरणी एवं दुर्गास्थान वितरणी द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । बांका शहर के पूरब स्थित चांदन नदी पर निर्मित पुल से लगभग 200 मीटर डाउनस्ट्रीम में नदी के दायें तटबंध से कतरिया नदी निकलती है । कतरिया नदी के निम्न प्रवाह (डाउनस्ट्रीम) में जाने के बाद यह दो प्राकृतिक भाग में विभक्त हो जाती है,

क्रमशः

टर्न-3/मधुप/24.02.2021

...क्रमशः...

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : बायीं ओर जाने वाली धार कतरिया नदी की मुख्य धार एवं दायीं ओर जाने वाली धार राजडॉड़ धार के रूप में जानी जाती है ।

3- कतरिया नदी के मुख्य धार में लगभग 60 मीटर डाउनस्ट्रीम में एक डैटम वॉल पूर्व से निर्मित था । स्थानीय किसानों द्वारा इस डैटम वॉल को अवैध रूप से ऊँचा कर दिया गया, जिससे पानी का स्वाभाविक बहाव बंद हो गया है ।

वस्तुत: यह मामला चांदन नदी से नि:सृत कतरिया एवं राजडॉड़ में जलस्राव का समान वितरण कर भागलपुर जिले के जगदीशपुर, गोराडीह एवं सबौर प्रखंडों एवं बांका जिला के रजौन प्रखंड के कृषकों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने से संबंधित है । हालांकि वर्ष 1983 से ही समस्या के निदान हेतु प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जाती रही है, परन्तु अभी अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है । वर्ष 2013 में तत्कालीन आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल द्वारा भी समस्या के निदान का प्रयास किया गया, परन्तु कोई सार्थक परिणाम नहीं मिल सका है ।

समस्या के निदान हेतु आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से पत्रांक 213 दिनांक 18.02.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है और मैं पर्सनली भी इसके बारे में वहाँ डी0एम0 से कोशिश करूँगा क्योंकि वहाँ लोकली जो कृषक हैं वे प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन वहाँ बैठकर भी माननीय सदस्य या अन्य लोग जो हैं वहाँ के, वे जाकर अगर लोकली बात करके उसको रिजॉल्व करें । तो प्रशासन के लोगों से मैं भी डी0एम0 से आग्रह करूँगा कि बैठकर उसका निदान करें । लेकिन वह वहीं पर होना है ।

अध्यक्ष : अब चलिये । सारा सकारात्मक जवाब तो हो गया ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि कतरिया नदी की मुख्य धार पर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से डैटम वॉल को ऊँचा कर दिया जिसपर 1983 से निदान का प्रयास किया जा रहा है । वर्ष 2013 से प्रशासनिक स्तर पर आज तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला । पुन: अनुरोध किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से ग्रामीणों के हित में निश्चित समयसीमा निर्धारण कर उचित कार्यवाही कराने हेतु आपका इसपर संज्ञान चाहता हूँ ताकि बाधित सिंचाई बहाल हो सके ।

(हिन्दी में अनुवादित) साथ-ही-साथ, हम कहना चाहेंगे कि हम किसान परिवार के घर के लड़का हैं और किसान हैं, खेती करके आये हैं आलू उगाकर । सभी माननीय महोदय से एवं आपसे आग्रह है, आप देखें कि 35-40 साल हो गये, हमारी बूढ़ी दादी इस आस में कि नहर में पानी आयेगा और हमारे यहाँ सिंचाई होगी लेकिन हमारी दादी भी कुढ़ते-कुढ़ते चली गईं, अब हमारी माँ खटिया पर बैठी हुई हैं, वह भी हमसे कहती हैं कि बेटा, कब हमलोगों के यहाँ का यह काम होगा ।

अध्यक्ष : चलिए, पवन जी ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, आप जरा एक लाईन हमारी सुन लें ।

अध्यक्ष : आप नये सदस्य हैं इसलिए अवसर दे रहे हैं लेकिन सकारात्मक जवाब मंत्री जी दिये हैं । बैठ जाइये ।

श्री पवन कुमार यादव : जरा-सा माननीय महोदय, एक लाईन सुन लें । हमें वहॉं की जनता ने सर्वाधिक मतों से जिताकर भेजा है आपके पास अपनी बातों को रखने के लिए ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । आगे अन्य माननीय सदस्यों का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है । श्री समीर कुमार महासेठ ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 164 (श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

(प्रश्न का लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527/ए के किलो मीटर 0 से 28 (पोखरोनी-झंझारपुर) में 7 मीटर चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है । वर्तमान में इस कार्य में विषयगत पथांश में नाला निर्माण का प्रावधान नहीं है । स्थल अध्ययन कराकर जल-जमाव की समस्या के निराकरण का उपाय किया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, यह प्रश्न 3 फरवरी को ही प्राप्त हो गया, आज 24 फरवरी है, 20 दिनों से अधिक हो जाने के बावजूद स्थल अध्ययन क्यों नहीं कराया गया ? सरकार के 40 लाख से ऊपर प्रत्येक वर्ष बर्बाद होते हैं ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि पहले से जो कार्य चल रहे हैं, उसके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का टु-लेन का पेव सोल्डर का काम चल रहा है और जो हमने स्थल अध्ययन के बारे में कहा है उसके लिए हमलोग वहॉं से रिपोर्ट मँगा रहे हैं । जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, उसके निराकरण के लिए इसका उपाय किया जायेगा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, प्रश्नगत पथ का जो प्राक्कलन बनाया गया था, क्या वह स्थल पर जाकर बनाया गया था ? यदि बनाया गया तो नाला का प्रावधान क्यों नहीं किया गया ? इसके लिए दोषी अधिकारियों पर सरकार कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ? चूंकि बसावट भी है, शहर भी है और गॉंव भी है, दोनों तरफ बसावट है और हरेक साल टूट जाता है ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब भी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के काम होते हैं, जो पहले पुरानी सड़क होती है उसके चौड़ीकरण का काम होता है, जहॉं-जहॉं पर पोपुलेशन रहता है वहॉं पर नाला का प्रोवीजन समय-समय पर किया जाता है । इस प्रश्न पर भी हमने उसके प्रोवीजन करने के लिए सुझाव भी दिया है, विभाग को

निदेश दिया है और जितनी जल्दी इसकी रिपोर्ट आयेगी, इसपर नाला का निर्माण करायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-165 (श्री ललित कुमार यादव)

(प्रश्न का लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न दो पथों से संबंधित है :-

1. एन0एच0 57 से रेलवे लाइन काकरघाटी पथ - यह पथ एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत निर्मित है । पथ का पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य समाप्त हो गया है, जिसकी मरम्मती हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के तहत डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

2. सोनकी पी0डब्लू0डी0 कल्याण चौक रसलपुर सहिला पथ - यह पथ एम0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत निर्मित है, जिसमें चतुर्थवर्गीय अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । वर्ष 2020 की बाढ़ के कारण पथ में कटाव हो गया था । जिसका पुनर्स्थापन कार्य कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है । वर्तमान में पथ में आवागमन चालू है । पथ के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जवाब दिया हुआ है, प्राप्त है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण भी चाहता हूँ और सरकार का लगातार जवाब, दर्जनों जवाब हैं, सवाल को देखा जाय महोदय, मैंने कहा है कि प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण कब तक होगा ? माननीय मंत्री जी का, सरकार का जवाब है कि 2018 अनुरक्षण नीति के तहत डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ।

महोदय, प्रश्न और उत्तर दोनों में कोई मेल नहीं है, एक । महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न सं0 286 पथ निर्माण विभाग से संबंधित है । देखिये महोदय, वहाँ मेरा घर है, 365 दिन में मैं 300 दिन उसपर चार-पाँच बार प्रत्येक दिन गुजरता हूँ । महोदय, 3 फीट - 2 फीट उस पी0डब्लू0डी0 सड़क पर पानी रहता है और महोदय, घर में नाला कनेक्ट है । नाला का पानी घर में जा रहा है और सड़क पर आ रहा है गलत नाला निर्माण से । माननीय मंत्री जी का जवाब है कि नाला गलत नहीं है ।

महोदय, तीसरा मैं बताता हूँ, कल जहानाबाद का प्रश्न संख्या-100 खेलकूद से संबंधित विभाग का था, गलत स्टेडियम जहानाबाद...

अध्यक्ष : अभी इसी प्रश्न पर चर्चा करें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आप गंभीरता से लें, आप संरक्षक हैं और सदन में गलत जवाब आ रहे हैं । यदि गलत जवाब आ रहे हैं तो....

अध्यक्ष : इसी प्रश्न से जुड़े हुये विषय को रखें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मुख्यमंत्री जी का कल बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण सुन रहे थे कि प्रशासन है, हम बख्शेंगे नहीं....

अध्यक्ष : पूरक पूछें ।

श्री ललित कुमार यादव : पूरक ठीक पूछे हैं । मैंने दो प्रश्न का और तीसरा कल जहानाबाद का, दर्जनों प्रश्न के उत्तर आपके सामने हैं, प्रश्न भी आपके सामने हैं । यदि सरकार गलत जवाब देती है तो.....

अध्यक्ष : इसमें पूरक पूछिये न कि क्या गलत है, बताइये ।

श्री ललित कुमार यादव : हम तो कह रहे हैं प्रोटेक्शन वॉल, ये कह रहे हैं कि अनुरक्षण नीति 2018 के तहत डी0पी0आर0 पथ के बारे में । महोदय, आप देखिये, हम तो देख लिये । हम कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण कब होगा प्रश्न में ?

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न का जवाब देंगे न ।

श्री ललित कुमार यादव : नहीं महोदय, आप सुन लीजिये । यदि नहीं सुनना चाहते हैं....

अध्यक्ष : एकदम सुनेंगे । बोलिये ।

श्री ललित कुमार यादव : सरकार हमलोगों को गलत जवाब देकर प्रेरित करेगी तो हमलोग बैठने के लिए तैयार नहीं हैं । सरकार सदन चलावे ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न बतायें । गलत जवाब देंगे तो माननीय सदस्य द्वारा विभाग से फिर प्रश्न पूछा जायेगा । आप पूरक पूछिये न ।

श्री ललित कुमार यादव : नाला निर्माण गलत हुआ है, घर में और सड़क पर पानी रहता है, उसका है । जवाब दे रहे हैं कि नाला.... । महोदय, आप अपने प्रतिनिधि, माननीय मंत्री और मैं प्रश्नकर्ता या मुझको छोड़ दीजिए, किसी पदाधिकारी को...

अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है ? पूरक प्रश्न क्या है ?

श्री ललित कुमार यादव : प्रश्न आप देखिये ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न बतायें ताकि माननीय मंत्री जी सुनेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : पूरक प्रश्न का सवाल तो मैंने कर दिया । मैंने प्रोटेक्शन वॉल के निर्माण का पूछा और इसमें सड़क संबंधी डी0पी0आर0 निर्माण की तैयारी की जा रही है, माननीय मंत्री जी का जवाब है । हमने सड़क के बारे में पूछा ही नहीं है । हमने तो पूछा है कि प्रोटेक्शन वॉल का निर्माण कब होगा ? माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अनुरक्षण नीति 2018 के तहत सड़क मरम्मती का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय... महोदय....

अध्यक्ष : फिर आप बोलेंगे, इनको बोलने दीजिये । जरा पहले सुन लीजिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता को हम दूर कर दे रहे हैं । इस पथ की मरम्मती कार्य के लिए प्राक्कलन....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सुनिये न, फिर बोलियेगा न ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ललित बाबू पुराने सदस्य हैं । माननीय सदस्य उत्तर ठीक से नहीं देख रहे हैं । इसमें लिखा गया है......

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : पूर्ण संरक्षण है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उसमें प्रोटेक्शन वॉल के लिए कहा गया है कि मरम्मती कराकर चालू किया जायेगा । यह नीचे के पार्ट में लिखा हुआ है तो माननीय सदस्य दूसरी बात कह रहे हैं । अनुरक्षण नीति तो सड़क मरम्मती की है । उसके बाद जो क्षतिग्रस्त सड़क है, उसके लिए भी कहा गया है । (व्यवधान) पढ़िए न, आप ठीक से देखिये न, उत्तर आप देखिये माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं । भाषण आपको देना है तो उसके लिए तो रोक नहीं है । अध्यक्ष महोदय जानें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सुन लिया जाय कि उत्तर क्या है । हमने प्रोटेक्शन वॉल के लिए दिया है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उत्तर पढ़ने दीजिए, उत्तर पढ़ लें उसके बाद समझ में आ जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर पढ़ लेते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : उत्तर तो इसमें दिया हुआ है । (व्यवधान) दर्जनों जवाब गलत आया है ।

टर्न-4/संगीता-सुरज/ 24.02.2021

अध्यक्ष : एक मिनट, बैठ जाइए । ललित जी, आप कहना क्या चाहते हैं यह बताइये ? बैठ जाइए, आप मत उठिये । आप बैठिये न ।

(व्यवधान)

चलिए आप बताइए, शॉर्ट में बताइए पूरक, क्या है कहना ?

श्री ललित कुमार यादव : आज मेरे दो प्रश्न हैं, एक 286 पर और एक प्रश्न अभी जो है, दोनों प्रश्नों का जवाब गलत आया है । दर्जनों जवाब.....

अध्यक्ष : आप लिखकर उपलब्ध करा दें, जवाब गलत होगा, सरकार को जवाब सही देना होगा और कार्रवाई करनी होगी ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक मिनट अनुरोध मेरा सुन लीजिए । यह राज्य का सबसे बड़ी पंचायत है और इसमें गलत जवाब आया है । वैसे पदाधिकारी पर कौन-सी सरकार कार्रवाई करना चाहती है बस मेरा एक लाइन का प्रश्न है ।

अध्यक्ष : आप लिखकर के दीजिए कि यह गलत है, उसपर हमलोग दिखवा लेंगे और कार्रवाई भी होगी ।

श्री ललित कुमार यादव : प्रश्न भी है, उत्तर भी है दोनों चीज हैं, आप केवल महोदय, आप अपना एक प्रतिनिधि, एक मंत्री और कोई एक सदस्य को भेजकर, तभी होगा ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, दिखवा लीजिए इसको, माननीय सदस्य की संतुष्टि के लिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : जवाब दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न का जवाब मुद्रित है, बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : जवाब गलत है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इतना देर बोले, मंत्री जी नए हैं उनको भी पूरक पर बोलने दीजिए न । आप वरीय सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

आप एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए न ।

श्री ललित कुमार यादव : आप महोदय, दोनों प्रश्नों के लिए एक कमेटी बनाइए ....

अध्यक्ष : चलिए, अब नहीं ।

श्री शमीम अहमद । मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ललित यादव जी पुराने सदस्य हैं और जिस तरह से एक प्रश्न के उत्तर के लिए, महोदय दिया हुआ है प्रश्न का उत्तर और उत्तर को ठीक से इन्होंने पढ़ा नहीं है और सदन को गुमराह कर रहे हैं । नौ मिनट अभी तक नौ मिनट इन्होंने सदन की कार्यवाही को बाधित किया है एक प्रश्न में महोदय । मैं इनको बताना चाहता हूं कि प्रश्न के उत्तर को ठीक से पढ़ें और इसमें लिखा गया है कि वर्तमान में पथ का आवागमन चालू है । पथ का क्षतिग्रस्त भाग

मरम्मती हेतु ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : गंभीर बनाने के लिए आपको गंभीर बनना पड़ेगा ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : जो क्षतिग्रस्त भाग है उसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । अब क्षतिग्रस्त भाग को बनाने की कार्रवाई की जाएगी तो और कैसा जवाब चाहते हैं ? यह जवाब नहीं चाहते हैं, यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं और एक ही प्रश्न पर यह सारा समय व्यतीत करना चाहते हैं और माननीय सदस्यों का जो महत्वपूर्ण सवाल है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, महोदय । विपक्ष के माननीय सदस्यों का ही तो ज्यादा सवाल है और उनको सवाल पूछने का अवसर नहीं देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अब सुन लीजिए, एक मिनट । बोलिए ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : बैठ जाइये सब लोग, वरीय सदस्य बोल रहे हैं । सब लोग बैठ जाइये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के माननीय सदस्य क्षेत्र में जो समस्या होती है उस समस्या के निदान के लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं तो समस्या के निदान संबंधी इन्होंने प्रश्न किया, माननीय सदस्य ने । इन्होंने प्रोटेक्शन वॉल बनाने की बात कही । उन्होंने अनुरक्षण नीति के संबंध में बात की । इसलिए माननीय मंत्री को जो पदाधिकारी लिखकर भेजते हैं वही वह पढ़ने का काम कर रहे हैं । अगर प्रश्न का जवाब आता है तो पदाधिकारी के साथ समीक्षा करनी चाहिए और प्रश्न को ठीक करना चाहिए और सदन में, अगर कोई सदन को गुमराह करता है पदाधिकारी तो उसके उपर निश्चित ही सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब...

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है । माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है । इसमें तो कोई अंतर नहीं है लेकिन मुझे एक बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अगर माननीय सदस्य मंत्री जी के किसी जवाब से असंतुष्ट हैं तो पूरक पूछने का अधिकार है उनको, पूरक पूछ रहे हैं और पूरक पूछने के बाद मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हो रहे हैं, तैयार हैं और तब माननीय सदस्य बैठते नहीं हैं, पूरक का उत्तर सुनते नहीं हैं, ऐसा कहीं होता है क्या, महोदय ? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। सदन के अंदर मंत्री अगर जवाब देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी का उत्तर आप जान लीजिए अगर वह जानने में आप...

श्री ललित कुमार यादव : अंतिम सवाल है, आप सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : अब अंतिम के बाद नहीं । सुन लीजिए । अब आगे सवाल बढ़ चुका है ।

श्री ललित कुमार यादव : जो नए हैं उन पर प्रश्नचिन्ह नहीं उठा रहे हैं । जो सरकारी पदाधिकारी दो प्रश्न में 286 और इस प्रश्न में.......

अध्यक्ष : अब दूसरे पर नहीं पहुंचिए । अगला आयेगा तो...

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सुनिएगा नहीं तो....

अध्यक्ष : बोलिए न, बोलिए आप जल्दी से बोलिए ।

श्री ललित कुमार यादव : दर्जनों सवालों के जवाब सदन में गलत आये हैं । मेरा सिर्फ आग्रह है कि आप अपने स्तर से सदन की कमेटी हो या आप अपने से गलत जवाब के लिए....

अध्यक्ष : ठीक है, हम दिखवा लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सुन लीजिए मेरी पूरी बात । आप गलत जवाब के लिए एक कमेटी का गठन कर दीजिए ।

अध्यक्ष : मंत्री का उत्तर पूछ लेंगे, अब थोड़ा आप शांति से, धैर्य के साथ वरीय लोग हैं आपसे दूसरे पर प्रभाव पड़ता है । बैठिए, आप बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादव : सरकार के दर्जनों उत्तर गलत आए हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, हम देख लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, भ्रष्टाचार से संबंधित है....

अध्यक्ष : अब आगे के लोगों का प्रश्न हो या न हो बताइये ? श्री शमीम अहमद ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आपकी अध्यक्षता में....

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है देख लेंगे, बैठिए । श्री शमीम अहमद ।

श्री भाई वीरेन्द्र : मंत्री जी का जवाब तो ले लीजिए ।

अध्यक्ष : अब वो नहीं इंटरेस्टेड हैं, आप किसलिए लग रहे हैं ।

श्री शमीम अहमद । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग । सदन सबलोग मिलकर चलायें तो ही अच्छा है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-166 (श्री शमीम अहमद)</u>

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला के बंजरिया प्रखंड के चितहां नदी टोला ग्राम में वर्ष 2019 एवं 2020 के बाद के दौरान तिलावे नदी से मनरेगा के तहत निर्मित बांध पर कटाव हुआ है, जिसे बाढ़ के दौरान आवश्कतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित कर लिया गया है ।

विभागीय पत्रांक-1118, दिनांक- 19 फरवरी 2021 द्वारा उक्त बांध के जीर्णोद्धार एवं कटाव निरोधक कार्य कराने हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण एवं ग्रामीण विकास विभाग, पटना से अनुरोध किया गया है ।

विभागीय पत्रांक-1206, दिनांक-19.02.2021 द्वारा बाढ़ अवधि में विशेष चौकसी एवं निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार न्यूनतम बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखने के लिए मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया है ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब भी गलत है । मेरा सवाल यह है कि नदी टोला गांव का जो कटाव हो रहा है उसका कटाव कैसे रुके, गांव कैसे बचें और माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि बांध का कटाव मैंने मनरेगा से कराया । मेरा सवाल जो है उसका जवाब मैं चाह रहा हूं, कब तक आप गांव का कटाव रोकेंगे ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि पिछले साल फ्लड में जो यह मनरेगा का बांध है, जल संसाधन का बांध नहीं है । मनरेगा से बनाया हुआ यह बांध है, फ्लड फाइटिंग का काम कर दिया गया, अभी कोई कटाव नहीं हो रहा है । मैंने डी0एम0, मोतिहारी और ग्रामीण विकास विभाग को लिखा है जिनके अंदर मनरेगा आता है कि जो जीर्णोद्धार का काम है वह करें, साथ-साथ फ्लड फाइटिंग के लिए, जब बाढ़ की स्थिति है सारी तैयारी डिपार्टमेंट की है, ऐसी स्थिति होगी तो जो हमारे चीफ इंजीनियर, मुजफ्फरपुर हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, वहां के लिए ।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, इस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं । एक गांव कट रहा है वहां पर ।

अध्यक्ष : जवाब कितना स्पष्ट है, सुन लीजिए, माननीय मंत्री ने कहा है कि विशेष चौकसी एवं निगरानी रखते हुए और निर्देशित भी किया गया है, अब तो इतना क्लीयर जवाब है । अब बैठ जाइए ।

श्री शमीम अहमद : क्लीयर नहीं है, सर । यह क्लीयर जवाब नहीं है ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-167 (श्री समीर कुमार महासेठ)</u>

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : महोदय, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पत्रांक-525, दिनांक-16.09.2019 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में प्राप्त निबंधन/नवीकरण हेतु कुल 3256 श्रमिकों की सूची में से कार्यालय में उपलब्ध 2544 आवेदनों को संबंधित श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को सत्यापन हेतु उपलब्ध करा दिया गया और शेष निर्माण श्रमिकों, जिनका आवेदन कार्यालय में अनुपलब्ध है, को चिन्हित कर सत्यापित करते हुए माह अंत तक नियामानुकूल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है । इसी क्रम में आजतक कुल 294 निर्माण श्रमिकों के सत्यापन की सूचना प्राप्त है, जिसे सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा श्रम अधीक्षक,

मधुबनी को ऑनलाइन करने का निदेश दिया गया है । कुल 16 निर्माण कामगारों का सत्यापन के उपरांत निबंधन कर दिया गया है । ...क्रमशः...

टर्न-5/आजाद/24.02.2021

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : (क्रमशः) इसी क्रम में आज तक कुल 294 निर्माण श्रमिकों के सत्यापन की सूचना प्राप्त है, जिसे सहायक श्रमायुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा श्रम अधीक्षक, मधुबनी को ऑनलाईन करने का निर्देश दिया गया है । कुल 16 निर्माण कामगारों का सत्यापन के उपरान्त निबंधन कर दिया गया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया, कार्यालय में उपलब्ध 2544 आवेदकों को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सत्यापित हेतु उपलब्ध करा दिया गया है, तो मंत्री जी बतायेंगे कि सत्यापित हेतु कब उपलब्ध कराया गया और कार्यालय में 2544 आवेदन कब से लंबित थे तथा लंबित रखने वाले अधिकारियों, कर्मियों पर सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : जो भी माननीय सदस्य का कहना है, उसको दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : आप दिखवा लें और आपके प्रश्न ऑनलाईन भी नहीं डाले गये हैं । थोड़ा इसको भी दिखवा लें ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : ठीक है सर, धन्यवाद ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, दूसरा है श्रमिक कल्याण बोर्ड सचिव....

अध्यक्ष : अब तो हो गया, दिखवा लेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ : नहीं सर, दिखवाने के साथ इसे सुनिश्चित भी कर दें चूँकि एक माह का इन्होंने टाईम दिया है । इसकी समय सीमा को मेनटेन करें क्योंकि 2018 से यह मामला इग्नोर हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-168 (श्री कुमार सर्वजीत)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज,मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल में उल्लिखित बसावट ग्राम-सुरंगा बिगहा को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित पथ से सम्पर्कता प्रदत्त है । ग्राम-परवलडीह को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन पथ कोकथा परवलडीह पथ से पुर्णाडिह पथ के निर्माण फलस्वरूप सम्पर्कित हो जायेगी ।

3. विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल सम्पर्कता दिया जाना है । प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ की बसावटों को

एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । अतः प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, किसकी बात मैं समझूं, कल माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ और कहा....

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : पूरक ही है सर, और माननीय मंत्री जी का जवाब कुछ और है .....

अध्यक्ष : देखिए, भूमिका में समय ज्यादा जाता है इसलिए डायरेक्ट पूरक पूछें ताकि मंत्री जी आपके पूरक का जवाब दे दें ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, जो इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री सम्पर्क योजना से सड़क बनी हुई है । माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत यह जुड़ी हुई है और बीच में नदी है और नदी के उस तरफ परवलडीह गांव है, तो बीच में नदी है और पी0एम0जी0एस0वाई0 से वह जुड़ा हुआ है और नदी के उस तरफ मुख्यमंत्री सड़क योजना से जुड़ी हुई है तो आपने जवाब दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, यह विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है तो हमें यह समझ में नहीं आया, यह तो सरासर जैसे ललित जी ने कहा कि गलत उत्तर आता है तो यह सही उत्तर कैसे हो सकता है, आप ही हमको बताइए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : चूँकि सम्पर्क पथ दूसरे रास्ते से अभी वहां पर है और अभी एकल पथ ही चल रहा है, एकल पथ की ही व्यवस्था है और अभी कोई पुल का प्रस्ताव नहीं है । आपका प्रश्न जो है, उसमें दोनों अलग-अलग पथ है, उस पथ के बीच पुल से जोड़ने का प्रस्ताव है लेकिन अभी ऐसा कोई सरकार का विचार नहीं है ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी द्वारा समझा जाय । दो तरफ गांव हैं, प्रखंड है । परवलडीह जो गांव है, उसको टनकुप्पा प्रखंड और अस्पताल आने के लिए ब्रिज की आवश्यकता है । ठीक है, आपने दोनों तरफ गांवों को सम्पर्क दे दिया, पी0एम0जी0एस0वाई0 भी दे दिया और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना भी दे दिया तो बीच में जो नदी है, हम ब्लॉक और अस्पताल, जब आपके पास कोई विचाराधीन ही नहीं है तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम और नजदीक की व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसका क्या होगा ?

श्री जयंत राज, मंत्री : वह सब आगे होगा ।

अध्यक्ष : आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे । ठीक है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-169 (श्री चन्द्रहास चौपाल)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न तीन पथों से संबंधित है :-

1. सिंघेश्वर से बिरौली पथ - उक्त पथ का निर्माण शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत कराया गया था, जिसका पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य ससमय नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया है । वर्तमान में पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन शीर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-III के अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

2. रायभीर नहर से बेलारी चौक पथ - उक्त पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत स्वीकृत है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

3. बेलारी से रौता, रानीपट्टी, कुमारखंड पथ - उक्त पथ के निर्माण हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया में है । तदोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, आप पूरक प्रश्न पूछें ।

आप बोलें, माईक को थोड़ा ऊपर कर लें ।

श्री चन्द्रहास चौपाल : अध्यक्ष महोदय, कार्य उसमें प्रारंभ नहीं हुआ है, माननीय मंत्री जी का जवाब है कि कार्य प्रगति पर है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति से मतलब नहीं है, जनता को तो सड़क चाहिए, चाहे जिससे हो । जब कार्य ही प्रारंभ नहीं हुआ तो प्रगति पर कैसे कार्य है ?

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, इसको दिखवा लेते हैं और इसको समयावधि में बनवा देंगे, यह समय अवधि में बन जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के नये सदस्य, वीरेन्द्र जी को देखकर आप नहीं करें, ये सीनियर हैं। आपलोग क्यों उठ गये, आपलोग बैठिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मुझे एक आग्रह करना है कि जो पदाधिकारी गलत जवाब भेजवा रहे हैं और माननीय मंत्री जी से गलत करवा रहे हैं तो उसपर कार्रवाई होनी चाहिए । इसमें आपके संरक्षण की आवश्यकता है, आप कस्टोडियन हैं माननीय विधायकों के, इसलिए उस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गोल-मटोल जवाब देते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बार जीत कर आये हैं और पहली बार मंत्री बने हैं, इनका जवाब स्पष्ट है .....

(व्यवधान)

बैठिए न, हम बता रहे हैं । बैठिए न, यह कोई बात हुई, आपलोग सिर्फ शोर कीजियेगा और बोलते रहियेगा और हमलोग सुनते रहें । सरकार जवाब दे रही है और सब जवाब सही है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य बैठ जायं । सभी लोग बैठ जायं । एक आग्रह है आप सबसे कि आसन की अनुमति के बिना कोई उठकर आपस में प्रश्नोत्तर नहीं करें । आप बैठिए । लोकतंत्र की खूबसूरती बराबर मत झलकाइये, अब थोड़ा बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-170(श्रीमती नीतू कुमारी)

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुलिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना निर्मित नारायणपुर, आखड़ रोड से दानीनगर पथ के आरेखण में अवस्थित है जो पूर्व से पंचायत स्तर से निर्मित था । सम्प्रति यह क्षतिग्रस्त है । इस स्थान पर निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता से टेक्नोफिजिबिलिटी रिपोर्ट की मांग की गई है । समीक्षोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-171 (श्री राजेश कुमार गुप्ता)

(लिखित उत्तर)

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की कुल लम्बाई 11.663 कि0मी0 है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड में मोकर से आकाशी होते हुए बभनपुरवा पुल तक पथ जिसकी कुल लम्बाई 11.663 कि0मी0 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है । पथ के 8 कि0मी0 पथांश में कार्य के उपरांत संवेदक द्वारा अवशेष 3.663 कि0मी0 लम्बाई में ससमय कार्य नहीं करने के कारण एकरारनामा विखंडित कर यथोचित कार्रवाई की गयी है । अवशेष कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तद्नुसार स्वीकृति के फलस्वरूप निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महादेय, यह जो मोकर से आकाशी होते हुए बभनपुरा एक रोड है जो 10 सालों से जीर्णशीर्ण स्थिति में है । इसमें दिया हुआ है कि 8 कि0मी0

बन चुका है लेकिन वह भी नहीं बना है । यह कब तक बन जायेगा, इसकी समय सीमा बताया जाय ?

अध्यक्ष : ठीक है, बताइए माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री : आपका कहना है कि 8 कि0मी0 रोड नहीं बना है लेकिन हमारा कहना है ....

श्री राजेश कुमार गुप्ता : मंत्री महोदय, वह भी 8 कि0मी0 जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप बैठ जाइए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : हम उसकी जॉच करा लेते हैं और उसकी समीक्षा कर लेते हैं । लेकिन आपका जो मूल प्रश्न था 3.663 कि0मी0 की लम्बाई का, उसका एकरारनामा केंसिल कर दिया गया है, उसको विखंडित करते हुए उसका प्राक्कलन फिर से तैयार कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष : चलिए सकारात्मक उत्तर है ।

टर्न-6/पुलकित-यानपति/24.02.2021

श्रीमती अनिता देवी: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मार्ग में, पुल पर यह रोड है, यह रोड बनने के 6 महीने बाद ही खराब हो गया है, अभी इस रोड की स्थिति यह है कि अब ठेहुना भर से भी ज्यादा खाल है, अब मान लीजिए कोई औरत प्रसूति अवस्था में है, उसको जाने में भी समझिये परेशानी तो होगी, डिलीवरी भी रास्ते में हो सकती है चूंकि रोड इतना खराब है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें, आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती अनिता देवी: महोदय, यह रोड जल्दी से जल्दी बन जाय, आवागमन का रास्ता सुलभ हो जाय। माननीय मंत्री जी इसकी समय-सीमा बता दें, क्योंकि हमलोग इस रोड पर आठ सालों से जूझ रहे हैं ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इसका प्राक्कलन फिर से तैयार कराया जा रहा है, इसकी जांच हम करवा लेते हैं, ढंग से ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अभी माननीय सदस्या ने कहा कि 6 महीने के अंदर ही रोड टूट गया, इसकी भी जांच कराकर के बता दें ।

श्रीमती अनिता देवी: अध्यक्ष महोदय, यह जांच का विषय है । आप इसको करवा लीजिये ।

अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, आप क्या पूछ रहे हैं ?

<u>तारांकित प्रश्न सं0- 172 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह)</u>

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ के निर्माण हेतु प्राक्कलन शीर्ष राज्य योजना अंतर्गत चयन के उपरांत अग्रसर कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने के समय मास्क थोड़ा नीचे कर लें तो आवाज क्लीयर आयेगी ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि यह कब तक हो जायेगा, क्योंकि वर्षों से सुन रहा हूँ कि प्राक्कलन बन गया है ।

अध्यक्ष: कब तक हो जायेगा, माननीय मंत्री जी ।

श्री जयंत राज, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जल्द हो जायेगा ।

अध्यक्ष: जल्द हो जायेगा । आपकी गंभीरता पर सरकार गंभीरता से जवाब देगी इसलिए सब गंभीर रहें, चलिये ।

तारांकित प्रश्न सं0- 173 (श्री महानंद सिंह)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अइयारा वितरणी पटना मुख्य नहर के 61.20 किलोमीटर से नि:सृत है । अइयारा वितरणी में सुखीबिगहा गांव में 1.5 किलोमीटर पर 2 फीट व्यास का 2 भेन्ट का ह्यूम पाइप पूर्व से ही निर्मित था । पथ निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में 3 फीट व्यास का 2 भेन्ट का पुल का निर्माण किया गया, अत: बहाव में कमी नहीं है । इन्द्रपुरी बैराज पर पानी की उपलब्धता में कमी के कारण उक्त रजवाहा में तातील प्रणाली अपनाकर सिंचाई की जाती है । तातील प्रणाली हुआ कि एक भेन्ट बंद कर दिया, दूसरा में दे दिया, दूसरा बंद कर दिया, तीसरा में दे दिया, एक सप्ताह के लिये सोन-बेसिन अंतर्गत रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर औरंगाबाद, अरवल, गया एवं पटना जिले में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने के दृष्टिकोण से रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के मटियांव ग्राम में प्रस्तावित इंद्रपुरी जलाशय का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । इस क्रम में प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को समर्पित कर दिया गया है । चूंकि प्रस्तावित जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र झारखंड एवं उत्तर प्रदेश में पड़ेगा । अत: पी0पी0आर0 की स्वीकृति के पूर्व झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सहमति आवश्यक है । इस हेतु सचिव स्तर पर बैठक कराने के लिए जल संसाधन विभाग झारखंड से 28 जनवरी, 2021 को अनुरोध किया गया है । इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप सोन नहर प्रणाली के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मुहैया करायी जायेगी ।

अध्यक्ष: अब तो इतना लंबा जवाब आया ।

श्री महानंद सिंह: महोदय, लंबा जवाब आया लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष: बोलिये-बोलिये जल्दी से ।

श्री महानंद सिंह: महोदय, कहना है कि दो फीट व्यास का ह्यूम पाइप को तोड़कर के और तीन फीट व्यास का ह्यूम पाइप लगाया गया है ऐसा नहीं है । किसी भी वितरणी में ह्यूम पाइप का पुल नहीं होता है । पहले तो यह सत्य से परे है यह जो रिपोर्ट दी गयी है वह सत्य से परे है । इसलिए इसको ठीक करें व उसकी जांच करें और यह किया जाय । उससे यह होता

है कि गाछ लगा देते हैं लोग कि पानी नीचे नहीं जाता है । यह तातील प्रणाली में थोड़ा कुछ दिन मौका मिला तो उसमें भी गाछ लगा दिया जाता है नीचे पानी नहीं जा पाता है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री महानंद सिंह: दूसरा यह कि यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है इंद्रपुरी जलाशय के लिये और केवल अइयारा रजवाहा का ही मामला नहीं है, यह माली रजवाहा......

अध्यक्ष: आप पूरक प्रश्न पूछिये ताकि और सदस्य का जवाब भी आ जाय ।

श्री महानंद सिंह: पूरक प्रश्न का सवाल है कि कई रजवाहों में यह पानी नहीं पहुंचता है वितरणी में कहीं नीचे तक पानी नहीं पहुंचता है और किसानों के मामले में जो रिपोर्ट दी गयी नीचे तक किसानों को पानी नहीं पहुंच रहा है तो वह खेती कैसे कर पायेगा ? उनको महंगी खेती करनी पड़ती है ।

अध्यक्ष: पूरक क्या है वह बोलिये न ।

श्री महानंद सिंह: उसमें जल्दी से जल्दी इसमें क्या हुआ है पानी पहुंचाने के लिये क्या कर रहे हैं कितनी जल्दी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: चलिये बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न सं0-174 (श्री चन्द्र शेखर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलांतर्गत घैलाढ़ प्रखंड का भान टेकारी राजस्व ग्राम दो पंचायतों में बंटा हुआ है । भान टेकारी ग्राम पंचायत, दूसरा है औराहा, महुआ, दिघरा ग्राम पंचायत, अभी सिर्फ भान टेकारी ग्राम पंचायत को मधेपुरा प्रखंड में शामिल किया जाता है तो एक ही राजस्व ग्राम भान टेकारी दो प्रखंडों में बंट जायेगा, फलस्वरूप घैलाढ़ प्रखंड के भान पंचायत को मधेपुरा प्रखंड में शामिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का, सरकार का जवाब आया है औचित्य हमने पूछा है दोनों अलग-अलग राजस्व गांव हैं महोदय, दूसरा यह है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उत्तर, दक्षिण और पूर्व से घिरा हुआ है, इसका थाना भी मधेपुरा है तो प्रखंड और अंचल घैलाढ़ रहने का कोई कारण नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर: महोदय, मेरा यह कहना है कि आपसे औचित्य पूछा गया और आपने कहा कि ये दो राजस्व में बंटा हुआ है, ये इनको गलत सूचना है अगर ये गलत सूचना है तो इसमें औचित्य बताकर के इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होना है ।

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है ।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, यही हम कह रहे हैं कि अगर औचित्य हमने पूछा है और आपने दो राजस्व गांव बताकर के दो डिवाईड कराया है, एक राजस्व को दो जगह, ये गलत सूचना है अगर आप कार्रवाई करें और नहीं तो हमारा यह जो भानठट्टी पंचायत है, मुद्रित गलत हुआ है, टेकारी नहीं है.....

अध्यक्ष: दिखवा लीजिए माननीय मंत्री जी ।

श्री चन्द्र शेखर: महोदय, तो इसको कम से कम मधेपुरा प्रखंड में प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी ठीक होगा, इसको शामिल करा दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो शंका है कि एक पंचायत राजस्व ग्राम में दो पंचायत हैं महोदय, अगर यह गलत रिपोर्ट किसी अधिकारी ने दी है तो मैं सख्त कार्रवाई करूंगा और 15 दिन के अंदर कार्रवाई करूंगा ।

अध्यक्ष: चलिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं और घैलाढ़ प्रखंड से जिसको ये अलग करके ले जाना चाहते हैं मधेपुरा में महोदय, उसकी दूरी मात्र 12 से 15 किलो मीटर है और घैलाढ़ अभी प्रखंड है महोदय, उसकी दूरी मात्र 10 किलोमीटर है, तो यह औचित्य इसलिए बताया गया है कि जब निकटवर्ती क्षेत्र में प्रखंड है तो वहां के सभी ग्रामीण सुविधा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूं और मधेपुरा प्रखंड 17 पंचायतों का प्रखंड है और घैलाढ़ जो प्रखंड है मात्र 9 पंचायतों का है, तो औचित्य है कि उनको घैलाढ़ में ही रहना चाहिए ।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को सूचना गलत है, 13 किलोमीटर और 9 किलोमीटर में फर्क है । मैंने कहा उत्तर भेलवा पंचायत मधेपुरा में है, दक्षिण मठाई पंचायत मधेपुरा में है ।

अध्यक्ष: अब समय हो गया है, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं कार्रवाई करूंगा, इसके बाद बैठ जाइये ।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, हम आश्वासन चाहते हैं ।

अध्यक्ष: अब हो गया, मंत्री जी कार्रवाई करेंगे, दिखवा लेंगे । समय हो रहा है, चन्द्र शेखर बाबू, आप वरीय सदस्य हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0- 175 (श्री शाहनवाज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में यह पथ ओ0पी0आर0एम0सी0 पैकेज-18ए के अन्तर्गत संधारित है, कुल 12.30 कि0मी0 लम्बाई है, लम्बाई के इस पथ की औसत

चौड़ाई अधिकांश लम्बाई में 3.75 मी0 है । संसाधनों की उपलब्धता एवं यातायात घनत्व के सर्वेक्षण के आधार पर चौड़ीकरण करने पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष: शाहनवाज जी, उत्तर मुद्रित है, आप पूरक पूछिये ।

श्री शाहनवाज: अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी हमने इस सड़क के चौड़ीकरण के विषय पर प्रश्न किया था और उस वक्त माननीय मंत्री जी का जवाब था कि ये सड़क अति महत्वपूर्ण है और वार्षिक योजना 2019-20 में इस सड़क का चौड़ीकरण किया जायेगा । अब इस बार माननीय मंत्री घनत्व के आधार पर चौड़ीकरण करने की बात कर रहे हैं । महोदय, आप से आग्रह है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण किया जाय ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम सर्वेक्षण कराकर इसकी प्राथमिकता देखते हुए इसको किया जायेगा ।

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों वह सदन पटल पर रख दिये जायं ।

टर्न-7/शंभु/24.02.21

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये महबूब जी, माननीय मंत्रीगण....

(व्यवधान)

बोल रहे हैं वरीय हैं, वरीयता दिखायी भी पड़नी चाहिए । माननीय मंत्रीगण, यह आपसे संदर्भित है । बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-93 के आलोक में वैसे प्रश्नों के उत्तर को, जो सदन में नहीं दिये जा सके हों, सदन पटल पर रखना अनिवार्य है ।

अत: नियम-93 के आलोक में जिन प्रश्नों के उत्तर मंत्रीगण सदन में देना चाहते हैं वे जब तक इनके उत्तर वस्तुत: सदन में नहीं देते हैं या इन्हें मेज पर नहीं रखते हैं तब तक वे उत्तर प्रकाशनार्थ मुक्त नहीं किये जायेंगे । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल में 18 मंत्रियों पर आपराधिक चरित्र का इल्जाम है ।

अध्यक्ष : कई अवसर प्रश्न के हैं उसमें आप लायें देख लेंगे हमलोग । श्री समीर कुमार महासेठ, प्रारंभ करें ।

(व्यवधान)

देखिए बहुत लोग वंचित रह जायेंगे ।

(व्यवधान)

चलिए, उचित माध्यम से आएं ।

(इस अवसर पर मा0सदस्य श्री महबूब आलम सदन के वेल में आकर वापस चले गये ।)

श्री समीर कुमार महासेठ अपनी सूचना पढ़ें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे ।

शून्यकाल

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, सदर अस्पताल, मधुबनी में बर्न यूनिट एवं आई0सी0यू0 स्थापति है, परंतु वह चालू नहीं है जिसके कारण गरीबों को भारी कठिनाई हो रही है।

अत: सदर अस्पताल, मधुबनी के बर्न यूनिट एवं आई0सी0यू0 को चालू किये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, बी0पी0एस0सी0 की 48वीं से 62वीं परीक्षा में 15 मौके के बदले 4 मौका ही मिले जिसमें अभ्यर्थी को 14 अवसर/मौका का नुकसान हुआ । मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बी0पी0एस0सी0 की परीक्षा में जिन्हें उम्र का नुकसान हुआ है उन्हें चार अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जायं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बारूण में रेलवे अंडरपास के गेज को नीचे करवा देने से स्कूली एवं अन्य बसों का रास्ता अवरुद्ध हो गया । इसका विरोध करने पर आमजन एवं जन प्रतिनिधियों पर 04.02.2021 को मुकदमा कर दिया गया । मैं इसकी उच्च स्तरीय जॉच की मांग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, बिहार सहित सीमांचल पूर्णियां में मक्का उपज अत्यधिक होती है । बिहार में मक्का पर एम0एस0पी0 लागू नहीं होने से उपज उचित मूल्य पर नहीं बिकता जिससे किसानों को अत्यधिक क्षति होती है । अत: मैं सरकार से बिहार में धान, गेहूं की तरह मक्का पर भी एम0एस0पी0 लागू कर खरीद करने की मांग करता हूँ ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के मेहसी में चल रहे अवैध बूचड़खाना एवं गोहत्या से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं । अत: मेहसी सहित पूरे बिहार में अवैध बूचड़खाना एवं गोहत्या पूर्णत: बन्द कराया जाय ।

डा0 शमीम अहमद : महोदय, नरकटिया विधान सभा के छौड़ादानो प्रखंड के गोला पकड़िया घाट पर बना लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है । सरकार से हम मांग करते हैं कि उक्त स्थान पर आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद, ज्ञापांक-439, दिनांक- 11.02.2021 के आलोक में सदर अस्पताल, औरंगाबाद के प्रसव वार्ड से बच्चा चोरी एवं कार्यों में लापरवाही के नाम पर जिले के 88 जी0एन0एम0 का स्थानान्तरण कर दिया गया है । जो किसी प्रकार से भी उचित प्रतीत नहीं होता है । उक्त 88 जी0एन0एम0 के स्थानान्तरण को रोकते हुए, तत्काल प्रभाव से जॉच के उपरांत कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, सीतामढ़ी जिला प्रखंड-बोखड़ा प्रधानमंत्री सड़क 11कि0मी0 भाउर, महिसौथा, पकटोला होकर प्रखंड मुख्यालय पहुंचती है । सड़क निर्माण दिल्ली के अराबली कंस्ट्रक्शन कम्पनी वर्ष 2010 में शुरू किया और ब्लैक लिस्ट हो गयी । 11 वर्ष हो चुका है । जनहित में सड़क निर्माण कराया जाय ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत नारायणपुर प्रखंड में पहाड़पुर ढाला और तेलडीहा ग्राम के बीच में मरकोशी धार है जिसकी वजह से तेलडीहा गांव के लोग अभी भी प्रखंड मुख्यालय पांच महीने नहीं जा पाते हैं । अत: सरकार से मरकोशी धार पर पुल बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत रोहतास गढ़ प्रक्षेत्र पूरी तरह से आदिवासी बहुल है। रोहतास गढ़ एवं पिपरी पंचायत में 60 आदिवासी गांव है इसके बावजूद यह प्रक्षेत्र पक्की सड़क से पूरी तरह से वंचित है । मैं सरकार से मांग करता हूँ कि रोतहास गढ़ समेत तमाम गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाय ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत सिकरहटा कला गांव के छात्र आरा से मैट्रिक की परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे । गड़हनी में दुर्घटना हो गयी जिससे छात्र दिनेश चौधरी की मौत एवं मुन्ना, दीपक सहित आठ छात्र बुरी तरह से घायल हो गये । मृतक के परिवार को दस लाख मुआवजा व घायलों को नि:शुल्क इलाज की मांग करता हूँ ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखंड के पंचायत महथी उत्तर, गांव मोहनपुर अवस्थित महाबीर मंदिर के सामने बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मिट्टी का कटाव होने से बांध क्षतिग्रस्त होने लगा है । पिछले वर्ष भी बांध को क्षतिग्रस्त होने से किसी तरह बचाया गया था । बोल्डर पिचिंग लगाने से बांध को स्थायी रूप से बचाया जा सकता है । मैं सरकार से बांध को बचाने हेतु बोल्डर पिचिंग लगवाने की मांग करता हूँ ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, ग्रामीण इलाकों में डीएस 01 विद्युत कनेक्शन की श्रेणी को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत 3000 रूपये भुगतान पर सारा बिल माफ का प्रावधान था जो स्कीम अभी बंद है । डीएस 01 एवं 02 विद्युत कनेक्शन श्रेणी को पूर्व स्कीम के तहत माफ कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, मधुबनी जिला के जयनगर थाना में थानाध्यक्ष की लापरवाही से हाल के दिनों में मोटरसाइकिल चोरी की घटना एवं अन्य आपराधिक घटनाओं में बेतहासा वृद्धि हो गयी है । जयनगर थाना एवं आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है। शीघ्र विधि-व्यवस्था नियंत्रण हेतु सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/मुकुल-अंजली/24.02.2021

श्री अखतरूल ईमान: अध्यक्ष महोदय, आलिया, पिता-इम्तियाज, ग्राम-मिर्जाटोला, बेतिया की रहने वाली है । जिसका कुछ अपराधियों द्वारा दिनांक-20.02.2021 को बलात्कार करने के बाद धारधार हथियार से गला रेत दिया है । पीड़िता एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया में जीवन-मृत्यु से लड़ रही है । अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा पीड़िता को 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, डुमरांव विधानसभा अंतर्गत सोनवर्षा ओ0पी0 (थाना-नावानगर) के प्रभारी सुबोध कुमार बाजार करने पहुंचे पुरुषों-महिलाओं के साथ गाली-गलौज कर जलील करते हैं तथा जबरदस्ती पैसा वसूल करते हैं और मना करने पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज देने की धमकी देते हैं । अत: मैं सोनवर्षा ओ0पी0 प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग करता हूं ।

श्री प्रकाश वीर: अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत 2006 में बालू खनन कर करोड़ों रुपये सरकारी राजस्व का घोटाला किया गया, जिसकी वसूली अभियुक्तों से 23.02.2021 तक नहीं की जा सकी है । राज्यहित में बालू घोटालेबाजों से खनन राजस्व की वसूली शीघ्र की जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के मटियारी पंचायत के जनपुरा से किसान चौक जानेवाली सड़क के बीच परमान नदी के मरियाघाट पर बने कॉजवे की स्थिति बेहद खराब है । बरसात के तीन माह कॉजवे

के ऊपर तेज जलप्रवाह के कारण रास्ता अवरुद्ध रहता है । उक्त स्थान पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के पंचायत सहसौल के श्वेतकमलदह महुआ पंचायत के महुआ चौर, पड़रिया पंचायत के भस्ती, पचारी, विराटपुर पंचायत के भादाचौर, देहत पंचायत के बेहटचौर में हजारों एकड़ भूमि में जल-जमाव रहने के कारण किसान भुखमरी की कगार पर हैं, सरकार से जल-निकासी हेतु मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का ऋषिकुंड पौराणिक काल में मुनि विभांडक एवं उनके पुत्र ऋषि श्रृंग की तपोभूमि रही है, जहां गर्म जल का झरना भी है । यहां काफी संख्या में पर्यटक आते-जाते रहते हैं परंतु उनके लिए सुविधाएं नगण्य हैं । अत: इसे पर्यटक स्थल घोषणा हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री चेतन आनंद: शिवहर शायद देश का वह अभागा जिला मुख्यालय है जो आजादी के सात दशकों बाद भी रेल लाइन से वंचित है । इस सदन के माध्यम से मैं सीतामढ़ी-मोतिहारी भाया शिवहर को रेलवे से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष: अब शून्यकाल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

श्री विजय कुमार खेमका, डॉ० सुनील कुमार एवं अन्य नौ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गृह विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णियां सहित राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है । आय दिन प्रदेश की आम जनता साइबर ठगी का शिकार हो रही है । प्रदेश में साइबर ठगी के अनुसंधान हेतु अलग से पुलिस बल को आई0टी0 ट्रेनिंग दिलाकर जिलावार साइबर थाना में पदस्थापित करने से साइबर अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है । जिस प्रकार अपराध नियंत्रण के लिए एस0सी0/एस0टी0 थाना, महिला थाना का जिला स्तर पर गठन कर अपराध पर नियंत्रण पाया गया है, ठीक इसी प्रकार साइबर अपराध को रोकने के लिए जिला स्तर पर तत्काल एक थाना की स्थापना करने की आवश्यकता है ।

अत: पूर्णियां सहित राज्य के सभी जिलों में साइबर अपराध पर कारगर रोक लगाने के लिए एक-एक साइबर थाना की स्थापना करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि साइबर अपराध के वर्ष 2016 में 309, वर्ष 2017 में 433, वर्ष 2018 में 374 एवं वर्ष 2019 में 1050 कांड प्रतिवेदित हुये हैं । इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते हुये उपयोग के साथ-साथ साइबर अपराध की घटनाओं एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग में विगत कुछ वर्षों में वृद्धि देखी जा रही है । साइबर अपराध की रोकथाम हेतु वर्तमान में गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार, पटना के ज्ञापांक संख्या-5120, दिनांक 12.06.2018 के माध्यम से जिलास्तर पर 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का गठन किया गया है। एक सी0सी0एस0एम0यू0 इकाई में एक प्रोग्रामर, तीन डाटा सहायक, कम्प्यूटर में दक्ष एक पुलिस निरीक्षक, तीन पुलिस अवर निरीक्षक एवं दो सिपाही कार्यरत हैं । राज्य के विभिन्न जिलों में थाना की संख्या के अनुपात में सी0सी0एस0एम0यू0 की संख्या चिन्हित की गई है । प्रथम चरण में 39 पुलिस जिलों एवं आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के 7 सी0सी0एस0एम0यू0 की स्थापना की जा चुकी है । आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा केंद्र सरकार के सी0सी0पी0ई0सी0 साइबर क्राइम प्रोविटेड अगेनस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रेन योजना के तहत 740 थानों को 5 दिवसीय तथा 1267 अन्य पदाधिकारियों, 201 न्यायिक पदाधिकारियों एवं 188 अभियोजन पदाधिकारियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है । आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा साइबर अपराध के प्रति आम नागरिकों में जागरूकता हेतु 1100 से अधिक साइबर सेनानी व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें 2 लाख से अधिक सदस्य हैं । आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जनता में जागरूकता बढ़ाने हेतु ई-पोस्टर तैयार किया जाता है और उक्त सभी ग्रुप पर अपलोड किया जाता है । आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना ने राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज किये गये 1544 साइबर अपराध के कांडों के अनुसंधान में जिलों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है । उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के सभी थाना एवं ओ0पी0 द्वारा भी साइबर अपराध के कांडों का अनुसंधान किया जाता है इसके लिए अलग से थाना खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, साइबर जो फ्रॉड है यह बड़ा गंभीर विषय है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इसे स्वीकार किया इस ध्यानाकर्षण को और इससे पूरा बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जो प्रभावित नहीं है । सारे जिले इससे

प्रभावित हैं और इसमें जो आम गरीब-गुरबा हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, बैंक खाता के नाम पर, भाई साहब सीमांचल क्षेत्र का भी है, उधर ज्यादा हो रहा है, बैंक खाता खुलवाने के नाम पर, त्वरित लोन देने के नाम पर, इससे अधिकारी भी वंचित नहीं हैं । अधिकारी के नाम से भी एकाउंट खुलवाकर के और फ्रैंड बनाकर के उसमें कलेक्शन करने के लिए ये लोग साइबर क्राइम करते हैं और स्कैन करते हैं और सरकार जागरूक है अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: पूरक है तो पूरक पूछिये क्योंकि एक और है अभी ।

श्री विजय कुमार खेमका: जी, मैं पूरक की ओर ही आ रहा हूं । सरकार जागरूक है । सरकार काम भी इस पर कर रही है और साइबर पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई का साइबर सेल भी सरकार ने, विभाग ने बनाया है लेकिन जिस गति से यह अपराध हो रहा है और जिस ढंग से लोग ठगे चले जा रहे हैं हमारे यहां जिस तरह से...

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका: मैं वही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय कि क्या सरकार साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए थाना बनाने का विचार रखती है कि नहीं रखती है जिसकी अति आवश्यकता है ।

अध्यक्ष: उन्होंने तो पूरा जवाब ही दे दिया है ।

श्री विजय कुमार खेमका: मैं फिर आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आसन के माध्यम से मंत्री जी को कि ये गंभीर विषय है और इसका केंद्र बगल में जामताड़ा झारखंड है । जहां से बराबर में दिल्ली और अन्य राज्यों से भी वहां पर रेड हुई है । इसको लेकर बिहार में, हर जिले में इसके थाने की आवश्यकता है । इसलिए मैं सदन में आसन से आग्रह करूंगा कि मंत्री जी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें और थाना को दुरुस्त बनावें ताकि साइबर क्राइम कम हो सके ।

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्रीजी तो कह चुके हैं कि इस पर अलग से थाना खोलने की जरूरत नहीं है ।

टर्न- 9 एवं 10/राजेश-हेमन्त-धिरेन्द्र/24.02.2021

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका इसमें हस्ताक्षर है ?

श्री रत्नेश सादा : हां है ।

अध्यक्ष : ठीक है । बोलिये ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जो साइबर अपराधी है, क्या सरकार से बड़ा है, हमारे पुलिस बलों से भी बड़ा है ?

अध्यक्ष : यही पूरक है आपका ?

श्री रत्नेश सादा : पूरी जनता को जो ठगी का शिकार करते हैं, उस पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट उत्तर हमने दिया है ।

अध्यक्ष : नहीं, जो प्रश्न माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, थाना से नीचे भी जहां ओ.पी. खुले हुए हैं वहां से भी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है । महोदय, अनुसंधान हो रहा है और वाट्सएप ग्रुप के जरिये लोगों को जानकारी दे रहे हैं । महोदय, यह अवेयरनेस का विषय है । सदन के सभी माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि लोगों को अवेयर करें । ऐसी जो फेक खबर आ रही हैं सोशल मीडिया पर या जिस मोबाईल पर आ रही हैं, उससे हमें सतर्क करना चाहिए और जो क्राइमर हैं, जो इस तरह के अपराध में लिप्त हैं, उनको सरकार किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये । आपका तो जवाब इतना बढ़िया दे दिया है । विद्यासागर केशरी जी बोलिये ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे साथ भी करने का प्रयास किया गया था।

अध्यक्ष : आप भी शिकार हो गये हैं ?

श्री विद्यासागर केशरी : जी ।

अध्यक्ष : कितने का नुकसान हुआ है ?

श्री विद्यासागर केशरी : जी, होने से बच गये । चूंकि हम पहले से सतर्क थे, इसमें हमसे भी मांगा गया था कि आप व्यक्तिगत जानकारी दीजिए के.वाई.सी. डिटेल्स अपडेट करने को कहा गया था लेकिन हम लोग बच गये । इसके कई लोग शिकार हो चुके हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न । आप शिकार हुए हैं तो अपने अनुभव को शेयर मत कीजिए, आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री विद्यासागर केशरी : पूरक यह है कि थाने में इस काम के लिए बहुत कम एक्सपर्ट लोग रखे गये हैं । मैं सदन से चाहता हूं कि प्रत्येक थाने में इस काम के लिए, साइबर अपराधी के काम को देखने के लिए एक्सपर्ट लगाये जायं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपना बचाव जिस तरह से किया, समझदारी का परिचय दिया और बच गये । इसी तरह से और माननीय सदस्य और बिहार की जो प्रगतिशील जनता है, बुद्धिजीवी जनता है, महोदय, अगर इन चीजों को अवेयर करने में, लोगों को जानकारी देने में लग जायेंगे, तो इस तरह का अपराध हो रहा है, क्राइम हो रहा है बिल्कुल समाप्त हो जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप भी शिकार हुए हैं ?

श्री भाई वीरेन्द्र : यह खुद शिकार हुए हैं यह क्या जवाब देंगे ।

अध्यक्ष : तो आपको सावधान कर रहे हैं । श्री महबूब आलम अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री महबूब आलम, सुदामा प्रसाद एवं अन्य ग्यारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (समाज कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री महबूब आलम : महोदय, राज्य में वृद्धा पेंशन पाने वाले ऐसे हजारों वृद्ध, वृद्धा पेंशन से वंचित हैं जिन्हें पहले प्रखंड कार्यालयों या ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी या मुखिया के माध्यम से हाथों-हाथ नगद रुपये का भुगतान किया जाता था । जबसे लाभुकों को बैंक खाते में भुगतान किया जाने लगा है तब से पेंशन पाने वाले लाभुक वृद्धों या वृद्धाओं के बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं जाती है, जिस कारण पेंशन पाने वाले वृद्ध, वृद्धा पेंशन से वंचित हैं तथा पेंशन रहित जीवन जीने के लिए बाध्य हैं ।

पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि तमाम प्रक्रिया राज्य मुख्यालय से हो रही है ।

अतएव पूर्व में पेंशन पा रहे वंचित वृद्धजनों को पुन: पेंशन उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर पेंशन वितरण में कठिनाइयों के कारण ही राज्यस्तरीय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पेंशन वितरण पेंशनधारी के बैंक खाते में किया जा रहा है । राज्य में लगभग 90 लाख वृद्ध, अशक्त तथा विधवा पेंशनधारी को उनके बैंक खाते में मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है । प्रति प्रखंड लगभग 15 से 20 हजार पेंशनधारी को प्रखंड

कार्यालय तक प्रतिमाह आने-जाने की असुविधा के कारण तथा सही लाभुक के खाते में पेंशन की राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डी.बी.टी. सफलतापूर्वक राज्य स्तर से की जा रही है, जिससे पेंशनधारी अपनी पेंशन किसी भी तिथि को बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से निकासी कर सकते हैं । इसमें अनावश्यक भीड़ भी नहीं होती है साथ ही सरकार का महत्वपूर्ण समय एवं सरकारी धन की बचत होती है तथा बिचौलियों एवं दलाल की भूमिका भी पूर्णरूप से समाप्त हो गयी है । वर्तमान में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अन्तर्गत 24 लाख से अधिक वृद्धों को तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 45 लाख से अधिक वृद्धों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में नियमित रूप से प्रतिमाह डी.बी.टी. प्रक्रिया के माध्यम से भेजी जा रही है । वर्तमान में जनवरी माह तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है तथा फरवरी माह के भुगतान के लिए.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलिये । पहले भी निर्देश दिया गया है ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रखंड स्तर पर छूटे हुए लाभुकों की जानकारी एकत्र कर उनके बैंक खाते तथा अन्य जानकारी को पोर्टल पर संधारित कर सुनिश्चित किया गया है साथ ही विभिन्न अभियानों, शिविरों के आयोजन के बाद भी यदि किसी वंचित लाभुक को भुगतान नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लाभुकों की सूची नियमित रूप से प्राप्त करते हुए उनके भुगतान हेतु कार्रवाई की जा रही है । अब तक तीन लाख से भी ज्यादा छूटे हुए पेंशनधारियों के संधारण तथा भुगतान हेतु कार्रवाई की गयी है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि पेंशन भुगतान हेतु डी.बी.टी. की व्यवस्था अत्यंत कारगर और उपयोगी है ।

अध्यक्ष: चलिये, आपको पूरक पूछना है ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, यह जो व्याख्यान दे रहे थे और मैंने सवाल किया है कि वृद्ध को पेंशन मिला करती थी और अभी पेंशन उन्हें नहीं मिलती है, वे जीवित हैं, 70 साल उम्र है, 75 साल उम्र है, तो महोदय जब प्रखंड विकास पदाधिकारी या कलेक्टर के लेवल पर हमलोग पूछताछ करते हैं कि यह तो जीवित हैं, इनकी पेंशन क्यों बंद हो गयी, यह करोड़पति भी नहीं बने हैं, यह भिखमंगा अभी भी हैं, दो डिसमिल जमीन रहने के लिए नहीं है, महोदय इस पर जवाब देना चाहिए था कि ऐसी स्थिति है या नहीं । यह सरकार से मैं मांग करता हूँ कि सरकार कलेक्टर को आदेश देकर, ऐसे वंचित वृद्धजनों की जानकारी लेकर, उन्हें पुन: पेंशन प्रक्रिया से लाभ देना चाहती है या नहीं ।

अध्यक्ष: इतना विस्तृत जवाब पढ़े, जवाब की कॉपी आपको दे देंगे, आप उसको देख लीजियेगा ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जब यह पूरक पूछ रहे हैं तो आप क्यों बीच में खड़े हो रहे हैं । जब बार-बार आसन से आपलोगों को बताया जा रहा है, फिर भी आपलोग, इस व्यवस्था को समाप्त कर लीजिये । वे सीनियर सदस्य हैं, पूरक पूछ रहे हैं । बोलिये, महबूब जी । जो उन्होंने प्रश्न किया है, पूरक है । उसका जवाब आप फिर से दे दीजिये ।

श्री महबूब आलम: महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जमीनी सच्चाई यही है और मैं लाखों लोगों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जमीनी सच्चाई यही है महोदय, कि बहुत लोगों को पेंशन मिला करती थी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपके पास कुछ उदाहरण है ?

श्री महबूब आलम: जी है ।

अध्यक्ष: तो उदाहरण आप माननीय मंत्री को दे दें, उसकी जाँच करके वह आपको बतायेंगे ।

श्री महबूब आलम: महोदय, फिलहाल कलेक्टर को आदेश दें कि ऐसे वंचितों की सूची बनायें, तथ्य की जाँच-पड़ताल हो और विज्ञापन भी जारी किया जाय ताकि वृद्धजनों को दोबारा .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है । माननीय मंत्री जी । ठीक है, बैठ जाइये । पूरे बिहार की बात चली है । अब माननीय मंत्री जी की बात सुनिये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता है, उन सारी चिंताओं को सरकार पहले ही समाप्त कर चुकी है । जो भी छूटे हुए वृद्धजन हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना अंतर्गत जिनकी आयु 60 साल से अधिक है, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, चाहे ए0पी0एल0 हो या बी0पी0एल0 हो, वैसे लोगों को प्रखंड स्तर पर आर0टी0पी0एस0 के काउंटर पर उनको आवेदन करना है और उनकी जांच करके पेंशन से उन्हें जोड़ना है और जो माननीय सदस्य की चिंता है अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे बिहार के अंदर में आज विभिन्न तरह के जो पेंशनधारी हैं, उनकी संख्या 90 लाख से अधिक नहीं होती, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

श्री महबूब आलम: महोदय, मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, मैं छूटे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ । जिनलोगों को पेंशन मिलती थी, उनकी बंद हो गयी है, यह पूछ रहा हूँ ।

ऑनलाईन करने के बाद भी उनकी पेंशन बंद है । ऐसे लोगों को पूरी पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जिनको भी पहले से पेंशन मिल रही होगी और अगर किसी कारण से, चाहे वह आधार कार्ड या बैंक खाता की वजह से कहीं त्रुटि रही हो, वैसे लोगों को हमने अंत में जवाब दिया है कि उन लोगों के लिए शिविर का आयोजन करके, शिविर के माध्यम से उनकी जानकारी इकट्ठा करके और 3 लाख वैसे लोग जिनको पहले से पेंशन मिल रही थी और खाता या आधार कार्ड में कहीं गड़बड़ी थी, जिसके कारण उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, वैसे लोगों को चिन्हित करके, सुधार करके और अब तक 3 लाख लोगों को पेंशन की राशि हमलोगों ने खाते में डाल दी है । बावजूद इसके एक भी गरीब कहीं छूटे हुए होंगे, तो उनके लिये यह व्यवस्था है और समय-समय पर हमलोग अखबार के माध्यम से भी विज्ञापन निकालते हैं कि कोई भी गरीब अगर कहीं छूटे हुए हैं तो उनके लिए यह प्रखंड में भी व्यवस्था है कि वह सूचना दें और हमलोग उनका सत्यापन करा कर पेंशन देने का काम करेंगे ।

अध्यक्ष: सकारात्मक जवाब है, अब ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में एक आदेश प्रत्येक जिला के कलेक्टर को चला जाय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी तो कह ही रहे हैं कि इस विषय में स्वयं संज्ञान ले रहे हैं । वह तो पूरे जिले के लिए, पूरे बिहार के लिए संज्ञान ले रहे हैं । अब सुदामा जी आपके नेता बोल दिये, आप क्यों उठ गये ? नेता के ऊपर पूरक ।

श्री सुदामा प्रसाद: नहीं सर ।

अध्यक्ष: अच्छा चलिये, बोलिये ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, हर मामले में........

(व्यवधान)

अध्यक्ष: भूमिका नहीं बनाइये, डायरेक्ट बोलिये ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, भूमिका नहीं बना रहे हैं । क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जिन लोगों को पेंशन मिलती थी, उनलोगों की पेंशन क्यों बंद हो गय ? कहा जाता है कि पटना से आ रही थी, बंद हो गयी है ।

अध्यक्ष: आप जाँच चाहते हैं और चाहते हैं कि मिले ?

श्री सुदामा प्रसाद: जाँच चाहते हैं, यह जनरल समस्या है, सर । हमारे विधान सभा में भी है, सब जगह है, पूरे बिहार का मामला है ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसको भी दिखवा लीजिये कि मोटिवेटेड हो कर या गलत ढंग से किसी को वंचित तो नहीं किया है ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, हर मामले में हो रहा है, कोरोना में भी यही हुआ है, सर ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: जो भी मामला हमलोगों के संज्ञान में आयेगा, सबका हम निराकरण करेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । बोल दिये, देख लेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप रुकें, आपका इसमें हस्ताक्षर है ।

श्री मनोज मंजिल: जी सर ।

अध्यक्ष: ठीक है, बोलिये । सुदामा जी की बात पूरी नहीं हुई है, उनको पूरी करने दीजिये, आप अभी बैठ जाइये ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के लिए जिलाधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाय कि लोग उनके पास आवेदन दें ।

अध्यक्ष: वह तो बोल ही दिये हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद: उनके यहां आवेदन दें, नहीं तो हो जाता है कौन गरीब आयेगा पटना जाँच करने के लिए कि कहां से पैसा जा रहा है और नहीं गया है ।

अध्यक्ष: ठीक है, बैठ जाइये । अब आप बोलिये ।

श्री मनोज मंजिल: अध्यक्ष महोदय, किसी वृद्ध को पेंशन मिल रही थी, किसी कारणवश बंद हो गयी और फिर सालभर बाद आप चालू करेंगे, तो जो सालभर का नहीं मिला, उसको आप देंगे न ? इसकी गारंटी की जाय, महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक है, माननीय मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले से ही हमलोगों ने स्पष्ट रूप से, विस्तार से बताया है । इनकी एक और चिंता, ध्यानाकर्षण में थी कि हाथों-हाथ वाला, तो लोग कहां-से-कहां चले गये और आज डी0बी0टी0 का माध्यम आ गया और ये अभी तक हाथों-हाथ में ही फंसे हुए हैं ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी को गंभीरता से नहीं सुनियेगा, तो कैसे समझियेगा ? सुन लीजिये न।

श्री मदन सहनी, मंत्री: महोदय, यह सुविधा आने के कारण ही आज लोगों तक सही समय पर राशि पहुँच पाती है । असल में इन लोगों की बहुत सारी बात है जो हम सदन में कहना नहीं चाहते हैं । XXX

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

XXX इस अंश को आसन के आदेशानुसार विलोपित किया गया ।

(अन्तराल)

टर्न-11/सत्येन्द्र/24-02-21

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक बात है...

अध्यक्षः अभी उसी विषय को लेकर हमलोग बैठे थे । प्रोसीडिंग से हटा दिया जायेगा, उस विषय पर बातचीत हो गयी है ।

(व्यवधान जारी)

श्री सत्येदव रामः महोदय, सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं । सदन चल रहा था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी । हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता श्री महबूब आलम जी ने पूरे बिहार के वृद्धजनों की पेंशन के बारे में ध्यानाकर्षण दिया था..

अध्यक्षः ये कह रहे हैं तो बाकी लोग बैठ जायं ।

श्री सत्यदेव रामः वह पूरे बिहार का मामला था और पूरे विपक्ष के लोगों ने भी इस पर दस्तखत किये थे, सवाल आया जिस पर मंत्री जी ने जवाब दिया, महबूब जी का पूरक प्रश्न, अंतिम प्रश्न था और उनका कहना इतना ही था कि माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इस आशय को पूरे बिहार के सभी जिला समाहर्ता को सूचित कर

दें ताकि पूरे बिहार में जो गड़बड़ी हो रही है, वह लागू हो जाय । यही बात कह रहे थे तब तक समाज कल्याण मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम कह रहे हैं आप लोगों की दुकान बंद हो रही है, हम कर देंगे तो आपकी दुकान बंद हो जायेगी और हम लोगों के चरित्र के बारे में उन्होंने कहा कि हम खोलना नहीं चाहते हैं । आज माननीय मंत्री जी हमारे चरित्र के बारे में वे खोल कर रखें सदन में, तब इसके बाद हम लोग बात करते हैं । पेंशन से हमारा कार्यालय चलता है तो खोलकर रखें ।

अध्यक्ष: सत्यदेव बाबू, अभी सभी पार्टी के दलीय नेताओं के साथ हम लोग बैठक किये हैं, बात किये हैं और इस विषय को हमने आज सदन प्रारम्भ होने के समय साफ शब्दों में कहा था कि सदन सबके सहयोग से चलता है । सदन में सभी माननीय सदस्यों के सम्मान और व्यक्तिगत भावना पर कोई चोट नहीं पहुंचायी जा सकती है और इस विषय पर इस तरह से छींटाकसी में लोकतंत्र की खूबसूरती झलकती है । कभी-कभी आपस में एक-दूसरे पर लोग कमेंट करते हैं या बोलते हैं फिर भी हम मना करते हैं लेकिन कभी-कभी वही गंभीर हो जाता है । हम मना कर रहे थे, माननीय मंत्री जी को मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने कार्यालय बुलाया और जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि बताइए हमारे बारे में भी कहा गया कि आप एक विभाग को खा गये तो हमने कहा कि यह तो आपस का मजाक है । आप लोग एक क्षेत्र से हैं क्योंकि बहुत सारी चीज व्यवहारिकता में मित्रवत् या हंसी के रूप में भी चलती है लेकिन ऐसा विषय कतई नहीं हो जिससे कि सदन की मर्यादा गिरे या किसी कार्यकर्ता की भावनाओं को चोट लगे और इसी को लेकर बार-बार मैं टोका टोकी पर बोलता हूँ । यहां नये सदस्य भी हैं और आप सब पुराने हैं, आपके सहयोग के बिना सदन नहीं चल सकता है । सबके सहयोग से ही सदन चलता है और सदन चलने से माननीय सदस्यों को लाभ होता है इसलिए आगे इसको ध्यान में रखा जायेगा । जब एक बार हम लोग अंदर में बैठकर निर्णय ले चुके हैं, यह विषय आ चुका है और जो विषय आया, वहां पर सभी प्रमुख लोग थे, महबूब साहब थे, आप भी थे, ललित यादव जी थे, सभी पार्टी के प्रमुख लोग बैठे थे तो हमको लगता है कि अब इसको आगे बढ़ाना उचित नहीं है । अब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ने देना चाहिए ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, सभी दलों के विधायक दल के नेताओं को बुलाकर आपने मीटिंग की और आपने प्रस्ताव रखा कि सदन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है ताकि बिहार की जनता की जो समस्याएं माननीय सदस्य उठाते हैं, उसका समाधान हो सके । हमलोगों ने भी उस बात को माना और कोई टीका-टिप्पणी किये बिना सदन चल रहा है लेकिन जिम्मेवार लोग, मंत्री गैर जरूरी बात बोलकर हम लोगों को जो आहत पहुंचाये हैं हम उससे मर्माहत हैं, दुखी हैं । आपको जो राजनीति करनी है

करिये लेकिन हम इस बात से दुखित है, हम काफी आहत हैं । चूंकि हमलोग कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा (माले) से आते हैं और हमलोगों का भले लड़ाई में क्या होता है, लड़ते हैं लेकिन इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और सम्पत्ति इकट्ठा करने के मामले में कोई ऊंगली नहीं उठा सकता है । ये हमारा अधिकार है और इस पर माननीय मंत्री ने कहा है कि हम पोल खोलेंगे तो हम चाहते हैं कि सदन में वे पोल खोलें । हम इसके लिए मांग करते हैं सरकार से ।

अध्यक्ष: इस बात पर दलीय नेताओं से विमर्श हो चुका है और बातें तय हो चुकी हैं । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम: सदन का अपमान माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हो रहा है ऐसा मैं समझता हूँ...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आप संयम बरतें, इस तरह की बात न करें, यह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप जिम्मेवारी के पद पर बैठे हैं जिम्मेदारी वाला बयान आना चाहिए...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: मंत्री जी, बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय सदन की कार्यवाही में तीखे से तीखे शब्दों का इस्तेमाल होता है । कभी-कभी सत्ता और विपक्ष के द्वारा भी कुछ ऐसे तीखे सवाल उठा दिये जाते हैं और कभी-कभी असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल होता है माननीय मंत्री महोदय से भी अगर असंसदीय शब्द का इस्तेमाल हो गया है और माननीय सदस्य को ठेस पहुंची है तो उसके लिए स्पीकर सर्वोपरि हैं, महोदय आसन सर्वोपरि है और आपने अभी सभी दलीय नेताओं को बुलाया और बुलाकर बातचीत की और बातचीत के नतीजे भी सामने आ गये और फिर माननीय सदस्य उन सवालों को उठा रहे हैं तो कहने का मतलब है कि संसदीय लोकतंत्र इसी से चलता है, संसदीय लोकतंत्र में तीखे से तीखे शब्द का इस्तेमाल होता है । कभी आप भी करते हैं, कभी इधर से भी हो जाता है, तो आपने जो रास्ता निकाला उस पर हम सबको अमल करना चाहिए ।

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या-2 अधिनियम, 2020 एवं बिहार विनियोग संख्या-3 अधिनियम, 2020 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2020-21 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण उपस्थापित करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श होगा इसके लिए दिनांक 24 एवं 25 फरवरी, 2021 की तिथि निर्धारित है । वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए कुल चार घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय भी दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	-	74 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	73 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	43 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	12 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	05 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	04 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	-	04 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-	02 मिनट
सी0पी0आई0	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट

टर्न-12/राहुल/अभिनीत/24.02.2021

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक ने विषय को रखा, दलीय नेताओं की बैठक में विषय पर विमर्श होकर बात हुई कि आगे सदन चलाना है, वह विषय बैठक में आ चुका है । अभी सभी दलीय नेताओं के साथ बैठक हुई है और सभी दलीय नेताओं

से आग्रह करेंगे कि जब भी इस तरह की विकट समस्या उत्पन्न होती है, कोई भी इस तरह का विषय आता है, कोई भी असंसदीय शब्द प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं बनता है, हमने पहले भी बार-बार निर्देशित किया है, नये सदस्यों को भी और पुराने सदस्यों को भी कि किसी कारण से असंयमित भाषा हो, किसी तरह की अमर्यादित भाषा हो या किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस पहुंचती हो तो सदन के अंदर इसके समाधान का नियमन भी है, हम लोग इसके लिये बैठे भी हैं और आप लोगों ने सहमति भी व्यक्त की और आगे इसको ध्यान में रखेंगे, अभी सदन का प्रारंभ है, आवश्यकता है हम लोग इसको गंभीरता से लें । माननीय सदस्यों के हित में कार्य किया जा रहा है, माननीय सदस्य हों या माननीय मंत्री हों, नियम सबके लिए बराबर है और इस सदन में सम्मान भी सबका समान है ।

(व्यवधान जारी)

अब इस पर तो हो चुका न ! आप पहले बैठ जाइये । अपने स्थान को ग्रहण कीजिए, हर विषय का समाधान संभव है ।

(व्यवधान जारी)

आप अपने स्थान से बोलेंगे तो सुनेंगे, ऐसे कैसे सुनेंगे ?

(व्यवधान जारी)

अब एक साथ कई लोग बोल रहे हैं तो कैसे सुनेंगे ?

(व्यवधान जारी)

कार्य-मंत्रणा समिति सदन के बाहर नहीं है, जब भी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होती है, वह सदन का पार्ट है । महबूब साहब आप वरीय लोग हैं कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक होती है या इस तरह की अकस्मात् बैठक होती है तो वह सदन का पार्ट है, वह सदन के बाहर नहीं है । पहले आप अपने स्थान पर जायं, सभी से आग्रह है कि अपने स्थान पर जायं फिर विषय को रखें ।

(व्यवधान जारी)

सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक से आपकी बात हुई और आप सबने अपनी सहमति व्यक्त की । अपने स्थान को ग्रहण करें, सदन चलाने के मूड में दोनों पक्ष हैं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाकर विषय को रखेंगे तो विषय की गंभीरता बनेगी । माननीय सदस्य...

(व्यवधान जारी)

आपका विषय बड़ा गंभीर है, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि सदन में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, यही विषय तो हम आपको कब से समझा रहे हैं कि सभी लोग संयम रखिए, गलत कमेंट और गलत बयानबाजी मत कीजिए...

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, आप नए हैं, आप सुनिए, आसन जब बोलता है तो वरीय लोग सुनते हैं लेकिन आप लोग नहीं सुनिएगा तो हम एकदम नहीं बोलेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आप एक साथ इतने लोग बोलेंगे तो हम कुछ सुन पाएंगे ? पहले तो अपना स्थान ग्रहण कीजिए...

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अब आप सुनिएगा ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-13/मधुप/24.02.2021

अध्यक्ष : आप सुन लीजिए । अपने स्थान पर जायं तब कुछ हम बोलें । आपलोग अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(व्यवधान जारी)

वरीय लोग बोलते हैं तो नये लोग सुनिये ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आपकी भावना.....

(व्यवधान जारी)

हम आग्रह करेंगे कि पहले अपने स्थान पर जायं । देखिये, आप अपनी भावना व्यक्त कर चुके हैं । मैं समझता हूँ कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और अब वित्तीय कार्य लेने दें । माननीय सदस्यगण, वरीय लोग बोलें तो सुनें ।

(व्यवधान जारी)

शांति बनाये रखिये । शांत रहिये । महबूब जी, शांत कराइये ।

(व्यवधान जारी)

संसदीय कार्य मंत्री । अब सुन लीजिये शांति से ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप और सारा सदन अवगत है कि आज सदन की कार्यवाही जब चल रही थी तो भोजनावकाश के पहले माननीय सदस्य और नेता महबूब आलम जी के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब के कम में कुछ बातें ऐसी हुईं कि सदन में उत्तेजना हुई और कुछ बातें ऐसी हो गईं जिससे एक ऐसा वातावरण बन गया कि सदन का चलना मुश्किल हो गया और उस परिस्थिति में.....(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक बार सुन लें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उस परिस्थिति में आपने सदन स्थगित कर दिया और उस समय आपका निर्णय सही ही था, वैसे तो आसन का जो निर्णय होता है वह सही ही होता है । उसके बाद शायद स्थिति की गम्भीरता या विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपने मुझे भी खबर दी और विभिन्न दलों के नेताओं को भी अपने कक्ष में बुलाया । महोदय, हम समझते हैं कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि संसदीय प्रणाली की यह सर्वोच्च और सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, इसमें कभी कोई दो राय नहीं है । आज जिस मुद्दे को लेकर सदन स्थगित हुआ या आज भी हमलोग कार्यवाही में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इससे भी गम्भीर मुद्दों का समाधान जो आपके स्तर पर बैठकर निकाला जा चुका है और सरकार की तरफ से, हम तो विशेष रूप से आप सभी माननीय सदस्यों से और नेताओं से भी आग्रह करते हैं कि उस समय जो बातें हुईं, उसकी चर्चा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो थे भी नहीं, उनको मालूम नहीं है, उनको तो यहाँ आने पर सूचना दी गई है, फिर पता नहीं किस कारण से उनका नाम भी लपेटे में लिया जा रहा है

(व्यवधान)

वह बात अपनी जगह पर है लेकिन अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली में आपने जो रास्ता अपनाया, वही रास्ता सर्वोत्तम भी होता है और उसमें तो यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उसमें से भी अधिकांश मैं समझता हूँ कि 8-10 वरिष्ठ नेतागण उसमें उपस्थित थे और सरकार की तरफ से या माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश पर हम पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार की मंशा, किसी दल की तो बात छोड़ दीजिए, किसी माननीय सदस्य को अपमानित करने की न कभी रही है न कभी रहेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पूरे विषय को सुनियेगा तब न । सुदामा जी, पूरे विषय को सुनिये । सुनिये, आपके नेता खड़े हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की तरफ से सारे....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिये न शांति से ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हम सरकार की तरफ से आप सभी माननीय सदस्यों को, सभी दल के नेताओं को पूरी जिम्मेवारी से आश्वस्त करते हैं कि हमलोग कभी किसी माननीय सदस्य को कोई खेद या तकलीफ पहुँचाने की बात तो छोड़ दीजिए, अपमानित करने की सोच भी नहीं सकते हैं, पहली बात ।

(व्यवधान)

सुन तो लीजिए पूरी बात । पूरी बात सुन लीजिये न ।

अध्यक्ष महोदय, आप ही इस बात के साक्षी हैं, यह आसन इस बात का साक्षी है कि आपके कक्ष में जब सारे नेताओं की बैठक हुई, हमलोगों ने भी यह राय व्यक्त की कि अगर किसी माननीय सदस्य को या किसी दल की भावना आहत हुई है तो हमलोगों को, सरकार को इससे खेद है । हमलोगों ने साफ कहा है ।

अध्यक्ष : चलिये । अब विषय हो गया, खेद व्यक्त हो गया ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हमलोग तो ऐसा हैं नहीं कि कोई कह रहे हैं कि सही बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली में इससे कोई बड़ी बात नहीं होती है और अब सदन के सारे लोगों से अनुरोध करते हैं, हम आप सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपने खुद कहा है कि आपकी भावना आहत हुई है, अगर आपकी भावना आहत हुई है तो हमलोगों को खेद है । अब सदन की कार्यवाही तो चलने दीजिए । इससे बड़ी क्या बात होती है ?

अध्यक्ष : अब अपने-अपने स्थान को ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

अब संसदीय कार्य मंत्री जी बोल चुके ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप आहत हैं तो हम खेद प्रकट किये हैं, अब तो बैठ जाइये।

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । महबूब भाई । जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया तो वरीय सदस्य सब समझ रहे हैं इस बात को, गम्भीरता को ।

(व्यवधान जारी)

देखिये, सदन चलाने में सबकी भूमिका होती है और इस विषय को अब खत्म करना चाहिये ।

(व्यवधान जारी)

सत्यदेव जी और महबूब जी, जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया तो उसके बाद कोई विषय बचता है क्या । अब बैठ जाइये आप लोग ।

(व्यवधान जारी)

आप अपना बड़प्पन तो दिखाइये ! बैठिये स्थान पर जाकर ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इससे अधिक आपको और अपना सम्मान क्या चाहिये ।

अध्यक्ष : चलिये । बैठिये । सदन को चलने दीजिये । ललित जी । वीरेन्द्र जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हमारे ख्याल से सम्मान के साथ अपना स्थान ग्रहण करिये ।

टर्न-14/संगीता-सुरज/ 24.02.2021

अध्यक्ष : महबूब साहब, अब आप सुन लीजिए । वरीय लोग समझते हैं । जब समस्या आती है तो वरीय लोगों की जिम्मेवारी होती है समाधान की । देखिए, विषय को हमलोग जितना छीलेंगे उतनी बात निकलेगी इसलिये इस विषय को यहीं समाप्त हमलोग कर दें । जब संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं और आसन भी इसको देख रहा है कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कोई भी न कर पायें । आसन गंभीरता से लेगा, अब जाइये बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अजय जी जाइये । अब इसके बाद....

(व्यवधान)

अब ऐसा मत करिये कि पुराने सदस्य को पीछे मत करिये । शालीनता बरतिये, ऐसा मत करिए ।

(व्यवधान)

धैर्य से, धैर्य से, गंभीरता से । आप अपने स्थान से बोलेंगे तभी हम सुनेंगे ऐसे हम कुछ भी नहीं सुनेंगे ।

(व्यवधान)

विषय को अपने स्थान से बोलिएगा । महबूब साहब, आप जाइए हो गया । महबूब जी, बजट पर, आप सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, सारे पार्टी के लोगों को बोलना है अपने-अपने विषय, बजट पर । आप विषय, जो दिल के अंदर है, उसको रखिएगा । जाइए, वित्तीय मामले को लेकर.....अब चलिए आग्रह है सभी लोगों से अपने स्थान को ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हमलोग कह रहे हैं बात तो समझिए ।

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री जी की, सबकी जिम्मेवारी है और जब उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है तो आप अपने स्थान को ग्रहण करिए । आप वरीय लोग हैं और हर समस्या

का समाधान वरीय लोगों को करना है, बैठिए अपने स्थान पर, चलिए । चलिए बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अपने स्थान को अब ग्रहण करें । चलिए अब हो गया । विषय रखने का आपलोगों को अवसर है ।

(व्यवधान जारी)

अब आप लोग अपने स्थान को ग्रहण करें । देखिए, अब इसके बाद नहीं बचता है । अब आप अपने स्थान को ग्रहण करें, जाइए और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती बतानी चाहिए नए लोगों को भी और पुराने लोगों को भी । इससे बेहतर खूबसूरती नहीं है । आपने अपनी भावना को प्रकट किया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी भावना का सम्मान किया, इसके बाद कुछ बचता नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

स्वागत कहां कर रहे हैं आप तो वेल में खड़े हैं । आप संसदीय कार्य मंत्री जी का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं, अपने स्थान को ग्रहण करें, इस अच्छी परंपरा की शुरूआत की पहल की आसन अपेक्षा रखता है ।

(व्यवधान)

चलिए बैठ करके । बैठ करके कार्य मंत्रणा समिति में ...

(व्यवधान जारी)

आगे देखेंगे, आगे हमलोग देखेंगे, आसन देखेगा गंभीरता से । चलिए ।
चलिए ठीक है । महबूब साहब, अब अपना स्थान ग्रहण करें । अब देखेंगे आगे ।

श्री रत्नेश सादा । श्री राजेश कुमार ।

(व्यवधान जारी)

अब बैठ जाइए । बैठ जाइए ।

(व्यवधान जारी)

एक मिनट, माननीय सदस्यगण, आप नेता विरोधी दल के स्थान पर खड़े हैं, कुछ कहना है क्या ?

(व्यवधान जारी)

अब आप अपने स्थान पर जाइए । अपना स्थान ग्रहण करिये । अजय जी, अब स्थान पर जाइए । जब हमलोग कार्यालय में बैठ करके बात-चीत कर चुके और इसके बाद भी अगर ....

(व्यवधान जारी)

अब इसके बाद जो पहल करनी थी, अब आपलोग स्थान ग्रहण करें तभी हम सुनेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अब सदन की कार्यवाही 3.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(स्थगन)

टर्न-15/आजाद/24.02.2021

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा। श्री राजेश कुमार .....

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : अब तो सारा विषय आ गया....

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जो घटना घटी है और उसका निराकरण किये बगैर सदन चलाना हम समझते हैं कि यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में इसका निराकरण करने का आप निर्देश दें । हमलोगों ने मांग की है कि जिस माननीय मंत्री के व्यवहार से हमलोग आहत हुए हैं, इसका निराकरण होना चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए । अब जबरन सदन चलाने का मैं मतलब नहीं समझता हूँ, नहीं तो कल से कोई माननीय सदस्य सम्मान के साथ अपनी बात

भी नहीं कर पायेगा । माननीय सदस्यों के सम्मान के लिए आपको इसपर कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप पुराने सदस्य के रूप में हैं और हम भी पुराने थे । इसी सदन के अन्दर हम दोनों, हम सभी लोग गवाह भी हैं । कई विषय इस तरह के आये हैं उसका समाधान भी वरीय लोग मिल-बैठ करके किये हैं । अभी आज ही हमने देखा है कि कुछ माननीय सदस्य जो नये आये हैं, जिनको अभी बहुत अनुभव लेना है, वे किस तरह से शब्द, भाषा और नियम के विरूद्ध एक्टिविटीज बैठे-बैठे करते हैं, अगर हम सदन की मर्यादा के अनुकूल एक्शन शुरू करेंगे तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी ? अवसर मिलना चाहिए सुधार के लिए और जब सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री जी ने विषय को रख दिया, हमने बिना आपकी पहल के स्वयं बुलाकर विषय के समाधान के लिए प्रयास किया और इसके बाद यही सदन गवाह है कि बैठे-बैठे माननीय मंत्री पर किस तरह का कमेंट की गयी । अगर उधर से भी यही विषय लाया जायेगा और कहा जायेगा कि वहां से भी माफी मांगी जाय तो स्थिति क्या बनेगी ? इसलिए लोकतंत्र की कुछ खूबसूरती होती है, पुराने लोगों के आपस में कुछ पर्सनल संबंध रहते हैं, थोड़ा सा चलता है, चलना नहीं चाहिए । सदन की मर्यादा के दृष्टिकोण से अगर हम गंभीरता से हर शब्द का सम्मान करते हैं तो हमें गंभीर रहना होगा क्योंकि हमारे आपके सारे क्रियाकलाप को पूरा बिहार देखता है । इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया और यह भी कह दिया, आसन भी कह रहा है कि आप सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के हों, सभी लोग सरकार के अंग हैं, सभी लोगों को मर्यादा का पालन करना चाहिए । पहले दिन और कल भी हमने कहा था कि सभी को अपनी मर्यादा की सीमा को लांघने का प्रयास नहीं करना चाहिये । नये सदस्य हैं, जो पुराने सदस्य हैं वे उनको अवगत करा दें । हम आग्रह करेंगे अब इस विषय को जब उन्होंने खेद प्रकट कर दिया तो अब आगे बढ़ने दीजिए क्योंकि इसमें सभी सदस्यों का हित है और सदन की भी मर्यादा और सम्मान इसी में समाहित है ।

(व्यवधान)

अब मर्यादा में आप दोनों में से कोई एक सदस्य बोलिए न । एक आदमी बैठ जाइए ।

श्री सुदामा प्रसाद : आसन की मर्यादा के लिए ही हम आन्दोलन कर रहे हैं आपके सामने में ।

अध्यक्ष : यहां आन्दोलन नहीं होता है, यहां सुझाव आया है, सुझाव पर गंभीरता से विचार-विमर्श हो रहा है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, हमारा आन्दोलन चल रहा है । हम अपनी बात को छिपाकर या दबाकर या हेराफेरी करके हम नही रखेंगे । जो सच्चाई है, उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ । हम सदन की मर्यादा के लिए ही इस सवाल को उठाये हैं ।

अध्यक्ष: मुझे खुशी है आपकी इस भावना से कि मर्यादा का पालन हमेशा कराते रहें और सभी लोग करें ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने जो किया है वो सम्मान योग्य है, मैं उसका आदर करता हूँ ।

अध्यक्ष: चलिये, बहुत अच्छा ।

श्री सत्यदेव राम: महोदय, सवाल यह है कि जो माननीय मंत्री बेवजह प्रताड़ित करने का जो आरोप लगाये हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, हम तो यही एक मांग किये हैं, अब आप वैसे लोगों को बचाने का काम करेंगे, तत्काल ऐसी घटनाओं को...

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पर आरोप लगाना कौन-सी मर्यादा है ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हम सरकार की बात कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: हाँ यह बोलिये, पूरी बात बोलिये ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, वैसे लोगों को बचाने से सदन इस तरह के संकटों में घिर जायेगा और हम सदन की मर्यादा नहीं बचा पायेंगे इसलिए हमारी मांग है कि इस पर कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या बिगड़ता है ? सरकार अगर सदन चलाना चाहती है तब तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और अगर सदन नहीं चलाना है तो तानाशाही रखकर अख्तियार रुख करके रखे रहिये । उसमें हमारा क्या है ? हम तो मार खायेंगे और रोयेंगे, यही ना हमारा अधिकार है, इतना ही है, आप लोगों ने इतना ही दिया है इससे अधिक हम जा भी नहीं सकते हैं । हम तो रोने का काम कर रहे हैं अब इसको अन्यथा लेकर कोई दूसरा काम सोचे लेकिन सुनवाई में यही ख्वाहिश है कि जिन मंत्री ने ऐसा काम किया है उसको दंडित करना चाहिए और सरकार करे, तब सदन चलेगा ।

अध्यक्ष: बोलिये, माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सत्यदेव जी पुराने सदस्य हैं और एक से एक जटिल समस्या इस सदन में आती रही है और सात बार हमलोग जीतकर आये हैं । महोदय और कई महत्वपूर्ण इस तरह के डिफरेंसेस होते रहे हैं, कई बार होते रहे हैं, उसका जो रास्ता है महोदय, आपने रास्ता निकालने का प्रयास किया है महोदय, यह इसी रास्ते से समस्या का हल होता है, समाधान होता है । महोदय, आपने पहले दलीय नेताओं को बुलाया, उनसे विमर्श किया और वहां पर भी आपने सहमति बना दी महोदय । पता नहीं कहां से सत्यदेव बाबू और माननीय हमारे महबूब

साहब के दिमाग में यह बात आ जाती है कि हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है, हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है । आपकी मर्यादा का, आपके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और फिर वहां की बात को उन्होंने कबूल नहीं किया महोदय, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में आपको सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है महोदय और मंत्रिमंडल का, सरकार की सामूहिक जवाबदेही होती है मंत्रिमंडल में और संसदीय मामले के जो मंत्री होते हैं इस तरह के विषय को, विशेष तौर पर उनकी जवाबदेही होती है । महोदय उन्होंने भी खेद व्यक्त किया है, अब इसके बाद भी अगर हठधर्मिता है महोदय कि खूंटा यही गाड़ेंगे तो भाई इस तरह से नहीं चलता है । चलाने के लिए आप इधर से दो-दो मिनिस्टर ने संसदीय कार्य मंत्री ने और हमने भी आपके कार्यालय कक्ष में कहा कि अगर किसी माननीय सदस्य को, अगर माननीय मंत्री से या सरकार के कुछ ऐसे शब्दों से अगर उनको आघात पहुंचा है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, महोदय । इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं संसदीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है और सदन को चलाने के लिए नियमावली बनी हुई है और नियमावली में सारी बातों का जिक्र है और परम्परा भी रही है, परिपाटी भी रही है, तो मैं समझता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ । सभी दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही को चलने दें और आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पूरी-पूरी कोशिश सरकार की तरफ से भी की जायेगी और आपकी तरफ से भी किया जाना चाहिए ।

टर्न-16/पुलकित-यानपति/24.02.2021

अध्यक्ष: चलिये, बहुत अच्छा श्रवण बाबू ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, सदन न चलने देने की जिम्मेदारी सरकार पर है ।

अध्यक्ष: अब फिर से आप ....

श्री सत्यदेव राम: महोदय, सरकार एक लाइन में कह देती कि ये माननीय मंत्री उठकर के खेद व्यक्त कर लें तो शायद यह मामला कब का हल हो गया होता लेकिन यह तो सरकार अपना खूंटा गाड़े हुए हैं, जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं इससे हम हिलडोल नहीं हो सकते हैं तो ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सदन नहीं चल रहा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नेता, और आप उप नेता हैं, आप दोनों बोल रहे हैं इसके बाद किन माननीय विधायक को कहें कि वे बोलेंगे तब हम सुनेंगे । आप वरीय सदस्य हैं आप समझते हैं संसदीय व्यवस्था को । आप संसदीय व्यवस्था को समझ रहे हैं,

महबूब साहब आपके दल के नेता हैं वह बोल रहे हैं । जब उनके कहने के बाद आप कहे कि नहीं उनकी बात नहीं हम जो कह रहे हैं वो करिये, ये परम्परा, ये व्यवस्था है क्या? जब संसदीय कार्य मंत्री बोल दिये, जब सभी की जिम्मेवारी है । हाँ, बोलिये भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि खेत अगर चरता है गधा और मार कौन खाता है, ये मुहावरा तो आप जानते ही हैं ।

अध्यक्षः अब उतना हम जानते नहीं हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्रः महोदय, खेत चरा कोई और माफी मांगे कोई, यह अच्छी बात तो नहीं है । जो खेत चरा है वह माफी मांगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब छोड़िये, हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से देखिये, भाई वीरेन्द्र जी कभी कभी गंभीर माहौल को थोड़ा खुशनुमा बना देते हैं । चलिये ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, ये अपना शब्द, ये बोले, माफी मांगें सदन से और इस तरह से .....

अध्यक्षः ललित जी, फिर आप भी फंस जाइयेगा, चलिये बैठ जाइये ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, आप बोलिये जो ....

अध्यक्षः अब मंत्री जी संसदीय, आप भी बोल दिये तो उस समय वो भी अंदर में जिक्र कर रहे थे ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, आसन हमको खड़ा होकर के कोई शब्द बोलने का मौका नहीं दिया ।

अध्यक्षः वही कहे कि बैठे-बैठे सबकी आपत्ति व्यक्त कर रहे थे । हमने कहा उस विषय का खंडन करिये ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री जी बोले, उनका भी रिकार्ड निकालिये, और मंत्री जी बैठे-बैठे बोलते रहते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी को बैठे-बैठे बोलने का ....

अध्यक्षः इसलिए तो हम कहते हैं कि मर्यादा शब्द का बहुत विस्तृत ब्यौरा है ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कोई बोलते हैं तो ठीक है लेकिन माननीय मंत्री जी बैठे-बैठे बोलते हैं तो क्या यह उनको शोभा देता है । सरकार को...

अध्यक्षः अच्छा, आगे बढ़िये ।

श्री ललित कुमार यादवः नहीं महोदय, माफी मांगने में क्या लगता है । मंत्री अगर इस तरह की बात बोलते हैं ।

अध्यक्षः अच्छा ललित जी, महबूब जी बोल रहे हैं । महबूब जी आप बोलिये ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, संसदीय परम्पराओं और परिपाटी के नाम पर हम तमाम विपक्ष के सदस्यों को अपमान करने की प्रवृत्ति जो शुरू हो चुकी है ।

अध्यक्षः कतई नहीं, किसी को नहीं ।

श्री महबूब आलमः महोदय, उन्होंने खूंटा ही गाड़ कर रखा है और खूंटा के अंदर से जितना गाली-गलौज, हमला वो करें तो करें और हम तमाम लोग अपना वह हमला सुनते रहें, सदन का अपमान होता रहे, हम खामोश रहें, महोदय ऐसा नहीं हो सकता है । हम अपील करते हैं महोदय, आग्रह करते हैं आसन से कि इसका संज्ञान लें और सरकार को आदेश दें कि उनके जो मंत्री ने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करके और इससे पहले भी हमारे उपर हमले हो रहे हैं महोदय, हमारी बातों को बकवास करार दिया जा रहा है । हमारी जीत जो कबूल नहीं हो रही है और हमारे सवाल को, अगर हम जनता के सवाल को न उठायें तो हम जनता से गाली खायें और यहां सवाल उठाते हैं तो मंत्री से गाली खायें तो ऐसी सदन में परिपाटी चल जाय तो ये परिपाटी टूटनी चाहिए, महोदय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सरकार गंभीर है और गंभीरता से विषय को लेते हुए आसन ने भी बिना आप लोगों की पहल के सभी लोगों को बुलाया । आपको भी सूचना गयी।

आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श अब होगा, श्री राजेश कुमार अपनी बात को रखें ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, असंसदीय भाषा का प्रयोग विपक्ष के द्वारा भी किया गया था । माफी विपक्ष को भी मांगनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचौल' : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा असंसदीय भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी किया गया था । इसलिए विपक्ष को भी माफी मांगनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति । माननीय सदस्य, बैठ जाइए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइए । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए, सदन को चलने दीजिए ।

(व्यवधान)

क्या सदन नहीं चलने देना चाहते हैं ? अब सभा की बैठक, सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं, तो अब सभा की बैठक, जब संसदीय कार्य मंत्री जी, सारे विषय को रखकर के खेद व्यक्त कर दिये इसके बाद यह उचित नहीं है । यह उचित परम्परा नहीं है और सदन चलने नहीं देना चाहते हैं यह भी उचित नहीं है सदस्यों के हित में ।

आपलोग सदन चलने देना चाहते हैं या नहीं, आप बतावें ?

(व्यवधान)

सदन चलने नहीं देना चाहते हैं ?

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक- 25 फरवरी, 2021 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....